भारत

के

नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1998 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 1

(राजस्व प्राप्तियां)

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय सूची

		परिच्छेद	पृष्ठ
	प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		(v)
	विहंगावलोकन		(vii)
पहला अध्याय	**सामान्य**		
	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	5
	बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं	1.2	9
	वसूलियों का विश्लेषण	1.3	11
	संग्रहण लागत	1.4	11
	बकाया राजस्व	1.5	12
	विभागीय आंकड़ों का समाधान	1.6	15
	अनिर्णीत अपीलें	1.7	15
	कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन	1.8	16
	लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	16
	बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.10	17
	बकाया निर्धारण	1.11	18
दूसरा अध्याय	**बिक्री कर**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	25
	बिक्री कर का अपवंचन	2.2	25
	शास्ति का अनुद्ग्रहण	2.3	37
	बिक्री कर की गलत छूट	2.4	38
	गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.5	39
	बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.6	39

		परिच्छेद	पृष्ठ
तीसरा अध्याय	**राज्य आबकारी**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	45
	स्पिरिट का कम उत्पादन	3.2	45
	पुनरासवन हानियां	3.3	46
	परमिट शुल्क का अनुद्ग्रहण	3.4	47
चौथा अध्याय	**वाहन, माल व यात्री कर**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	53
	सांकेतिक कर की वसूली न होना	4.2	53
	एकमुश्त सांकेतिक कर की अल्प वसूली	4.3	54
	अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण	4.4	55
	आबकारी व कराधान विभाग के पास प्रंजीकृत न करवाए गए वाहन	4.5	55
पांचवां अध्याय	**वन प्राप्तियां**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	61
	वन अपराध	5.2	61
	चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों पर रॉयल्टी का गलत निर्धारण	5.3	71
	रॉयल्टी की अल्प वसूली होना/वसूली न होना	5.4	73
	ब्याज व शास्ति का अनुद्ग्रहण	5.5	75
	बिक्री कर की अल्प वसूली	5.6	77
	इमारती लकड़ी के कम रुपान्तरण के कारण राजस्व की अल्प वसूली	5.7	78
	वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.8	79
	उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.9	80
	गलत दरें लगाने से रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.10	81
	वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.11	82
	समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण	5.12	84
	वृक्षों का निपटान न करना	5.13	85

		परिच्छेद	पृष्ठ
छठा अध्याय	**अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां**		
	क-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	91
	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	6.2	91
	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प-निर्धारण	6.3	92
	ख-गृह-विभाग		
	पुलिस बल तैनाती के प्रभार की वसूली न करना	6.4	93
	ग-लोकनिर्माण विभाग		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.5	94
	क्षतियों की वसूली न करना	6.6	94

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां

31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा-16 के अधीन की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य के बिक्री कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन कर, यात्री तथा माल कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 1997-98 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में ध्यान में आए मामले उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त वे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 27.49 करोड़ रु0 के कर-प्रभाव वाले 26 परिच्छेद तथा 2 समीक्षाएं समाविष्ट हैं। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

(परिच्छेद 1.9)

1. **सामान्य**

(i) सरकार की वर्ष 1997-98 की कुल प्राप्तियां 2170.45 करोड़ रु0 थीं। वर्ष के दौरान सरकार की राजस्व प्राप्तियां 698.20 करोड़ रु0 थीं जिनमें से 476.16 करोड़ रु0 कर राजस्व तथा 222.04 करोड़ रु0 कर-भिन्न राजस्व का निरुपण करते थे। सरकार ने विभाज्य संघीय करों में राज्यांश के रुप में 651.30 करोड़ रु0 तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रुप में 821.02 करोड़ रु0 भी प्राप्त किए। कर राजस्व प्राप्तियों में आबकारी (159.54 करोड़ रु0), बिक्री कर (171.18 करोड़ रु0) और माल तथा यात्री कर (96.80 करोड़ रु0) प्रमुख थे तथा कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियां वानिकी तथा वन्य प्राणियों (41.15 करोड़ रु0) से थी।

(परिच्छेद 1.1)

(ii) 31 मार्च 1998 को राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की बकाया राशियां 170.45 करोड़ रु0 थीं जिनमें 76.68 करोड़ रु0 वानिकी एवं वन्य प्राणियों से सम्बन्धित थे।

(परिच्छेद 1.5)

(iii) वर्ष 1997-98 के दौरान आबकारी एवं कराधान, परिवहन, वन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 747 मामलों में 38.92 करोड़ रु0 के राजस्व अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण का पता चला। सम्बद्ध विभागों ने 5.81 करोड़ रु0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किए।

(परिच्छेद 1.9)

(iv) 31 दिसम्बर 1997 तक जारी 140.37 करोड़ रु0 की राशि के 7368 आपत्तियों वाले 2568 लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 30 जून 1998 तक समायोजित नहीं किए गए थे।

(परिच्छेद 1.10)

2. **बिक्री कर**

"बिक्री कर का अपवंचन" की समीक्षा से निम्नांकित तथ्य प्रकट हुए:

(i) विभाग द्वारा अधिसूचना के उपबन्धों को लागू न करने से एक सीमेण्ट उद्योग इकाई ने 437.10 लाख रु0 कर की गलत छूट का उपयोग किया।

(परिच्छेद 2.2.6)

(ii) शिमला जिले के एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1995-96 में गलती से संगृहीत 31.82 लाख रु0 का केन्द्रीय बिक्री कर सरकारी लेखे में जमा करवाया हुआ नहीं पाया गया था।

(परिच्छेद 2.2.7)

(iii) एक व्यापारी ने 1994-95 से 1996-97 वर्षों में 487.34 लाख रु0 के फोटो पहिचान पत्रों की बिक्री प्रदर्शित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरुप ब्याज व शास्ति सहित 57.92 लाख रु0 का करापवंचन हुआ।

(परिच्छेद 2.2.8)

(iv) एक व्यापारी द्वारा चावल व गेहूं के आटे की बिक्री पर दावा की गई कटौतियां छूट की हकदार नहीं थीं और परिणामतः ब्याज सहित 76.01 लाख रु0 का करापवंचन हुआ।

(परिच्छेद 2.2.9)

(v) दो जिलों में 1986-87 व 1996-97 वर्षों के बीच चार व्यापारियों का पंजीकरण किया जाना था क्योंकि उनकी वार्षिक सकल बिक्री उनकी कर-योग्य प्रमात्रा से अधिक हो गई थी लेकिन उन्होंने पंजीकरणार्थ आवेदन नहीं किया। उनका पता लगाकर पंजीकृत करने में विभाग की विफलता के फलस्वरुप 12.63 लाख रु0 के बिक्री कर का अपवंचन हुआ।

{परिच्छेद 2.2.10 (क)}

(vi) अपना कारोबार बन्द करने वाले पांच व्यापारियों द्वारा उपयोग में लाई गई रियायतों को वापिस न लेने के फलस्वरुप अधिभार सहित 7.98 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ।

{परिच्छेद 2.2.11 (i)}

(vii) 12 बैरियरों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 942.84 लाख रु0 की रेत व बजरी ढोने वाले 1,05,792 माल वाहनों ने विहित घोषण पत्र दाखिल करवाए बिना 1994-95 तथा 1996-97 वर्षों के मध्य बैरियर पार किए। विभाग पंजीकृत व अपंजीकृत व्यापारियों पर निर्धारित नियंत्रण रखने में विफल रहा तथा इसके अलावा 75.43 लाख रु0 का बिक्री कर भी उद्ग्राह्य था।

(परिच्छेद 2.2.12)

3. **राज्य आबकारी**

(i) वर्ष 1995-96 व 1996-97 के दौरान एक आसवनी में यवरस तथा सीरे से स्पिरिट उत्पादन के निर्धारित मानकों को लागू करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप सरकार 21 लाख रु0 के आबकारी शुल्क से वंचित रही।

(परिच्छेद 3.2)

(ii) एक मद्यनिर्माणशाला में वर्ष 1996-97 के दौरान पुनरासवन की प्रक्रिया में स्पिरिट की क्षति पर उद्ग्राहय 4.70 लाख रु0 का आबकारी शुल्क उद्गृहीत नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 3.3)

4. **वाहन, माल व यात्री कर**

तीन बैरियरों में प्राप्य 9.69 लाख रु0 का अतिरिक्त माल कर या तो वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया था।

(परिच्छेद 4.4)

5. **वन प्राप्तियां**

"वन अपराध" की समीक्षा से निम्नांकित तथ्यों का पता चला:

(i) दस वन मण्डलों से सम्बद्ध 123.19 लाख रु0 मूल्य के 3099 वृक्षों के अवैध कटान तथा इमारती लकड़ी के 562 नगों के अपने कब्जे में लेने के 98 मामलों में विभाग ने 1992-93 से 1996-97 वर्षों के दौरान कोई भी क्षति प्रतिवेदन तैयार/जारी नहीं किए।

{परिच्छेद 5.2.7(क)}

(ii) पन्द्रह वन मण्डलों में 3056 आपराधिक मामले संयोजित करने या विहित अवधि में न्यायालयों में ले जाने में विभाग की विफलता के कारण 1992-93 से 1996-97 वर्षों में कालातीत हो गए जिससे न केवल अपराधी ही साफ बच गए अपितु 80.58 लाख रु0 की राजस्व हानि भी हुई।

{परिच्छेद 5.2.7(ग)}

(iii) सात वन मण्डलों में पाए गए अवैध कटान के 21 मामलों में सम्बद्ध क्षेत्र कर्मी 50.07 लाख रु0 की इमारती लकड़ी अपराधियों से समपहृत करने में विफल रहे।

{परिच्छेद 5.2.8(क)}

(iv) राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत मण्डलीय वन अधिकारी ने मामले पुलिस में दर्ज करवाने की बजाय 12.37 लाख रु0 के 357 वृक्षों के अवैध कटान के 2 मामले अपनी सक्षमता से बाहर जाकर संयोजित किए।

(परिच्छेद 5.2.9)

(v) उन्नीस वन मण्डलों में वर्ष 1992-93 के आरम्भ में 11,437 आपराधिक मामले अनिर्णीत पड़े थे जो वर्ष 1996-97 की समाप्ति पर 57 प्रतिशत से बढ़कर 17,979 हो गए थे। इन मामलों में प्रभार्य क्षतिपूर्ति व उत्पाद मूल्य 816.88 लाख रु0 संगणित हुआ और अन्तिम रुप देने में परिणामी विलम्ब से राजस्व अवरुद्ध रहा।

(परिच्छेद 5.2.11)

(vi) सोलह वन मण्डलों के 1,884 मामलों में 1,831 वृक्षों की 387.308 हेक्टेयर वन भूमि 1992-93 से 1996-97 वर्षों में अपराधियों ने हड़प ली। ये मामले निर्णय/प्रक्रियान्वयन हेतु अनिर्णीत पड़े थे। वन भूमि खाली न करने से 234.21 लाख रु0 (केवल वृक्षों का मूल्य) का राजस्व अवरुद्ध रहा। विभाग ने हड़पी गई जमीन का मूल्य व क्षतिपूर्ति निर्धारित नहीं की थी।

(परिच्छेद 5.2.12)

(vii) चार वन मण्डलों में चौड़ी पत्ती वाले वनों पर 192.67 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की कम मांग की गई।

(परिच्छेद 5.3)

(viii) सात वन मण्डलों में 140.26 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी या तो प्रभारित ही नहीं की गयी या फिर अल्प प्रभारित की गयी।

(परिच्छेद 5.4)

(ix) चार वन मण्डलों में विभाग ने रॉयल्टी व बिक्री कर के विलम्बित भुगतानों पर राज्य वन निगम से उद्ग्राहय 25.39 लाख रु0 के ब्याज व शास्ति की मांग नहीं की।

(परिच्छेद 5.5)

(x) दो वन मण्डलों में इमारती लकड़ी पर बिक्री कर की गलत दरें लागू करने के फलस्वरुप 25.17 लाख रु0 के बिक्री कर की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.6)

(xi) दो वन मण्डलों में इमारती लकड़ी का विहित सीमा से कम रुपान्तरण तथा विभागीय बिक्री डिपो के लिए 25.16 लाख रु0 की रुपान्तरित लकड़ी की अल्प आपूर्ति पायी गयी।

(परिच्छेद 5.7)

(xii) पांच वन मण्डलों में वृक्षों के आयतन के गलत अंकन करने के कारण 17.62 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.8)

(xiii) एक वन मण्डल में उपयुक्त वृक्षों पर 11.16 लाख रु0 की रॉयल्टी व बिक्री कर कम वसूल किया गया।

(परिच्छेद 5.9)

(xiv) रॉयल्टी की न्यून दरें लागू करने के कारण 9.74 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की कम वसूली की गई।

(परिच्छेद 5.10)

6-क स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस

88 मामलों में ग्रामीण बैंक व हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत बैंकों से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ऋण-छूट के लिए विहित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए थे तथा परिणामतः 7.49 लाख रु0 का स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस उद्ग्राहय थी लेकिन इसे उद्गृहीत नहीं किया गया था।

(परिच्छेद 6.2)

पहला अध्याय

सामान्य

पहला अध्याय: सामान्य

	परिच्छेद	पृष्ठ
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	5
बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं	1.2	9
वसूलियों का विश्लेषण	1.3	11
संग्रहण लागत	1.4	11
बकाया राजस्व	1.5	12
विभागीय आंकड़ों का समाधान	1.6	15
अनिर्णीत अपीलें	1.7	15
कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन	1.8	16
लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	16
बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.10	17
बकाया निर्धारण	1.11	18

पहला अध्याय: सामान्य

	परिच्छेद	पृष्ठ
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	5
बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं	1.2	9
वसूलियों का विश्लेषण	1.3	11
संग्रहण लागत	1.4	11
बकाया राजस्व	1.5	12
विभागीय आंकड़ों का समाधान	1.6	15
अनिर्णीत अपीलें	1.7	15
कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन	1.8	16
लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	16
बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	1.10	17
बकाया निर्धारण	1.11	18

पहला अध्याय

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 1997-98 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों व सहायता अनुदान का अंश तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़े निम्नांकित हैं तथा चार्ट-1 में भी प्रदर्शित है:

		1995-96	1996-97	1997-98
			(करोड़ रुपए)	
I	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	341.52	412.11	476.16
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	117.34	146.86	222.04
	जोड़	**458.86**	**558.97**	**698.20**
II	भारत सरकार से प्राप्तियां			
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्यांश	400.28	@ 440.23	@ 651.23
	(ख) सहायता अनुदान	894.88	992.82	821.02
	जोड़	**1295.16**	**1433.05**	**1472.25**
III	राज्य सरकार कीं कुल प्राप्तियां (I व II)	1754.02	1992.02	2170.45
IV	**III पर I की प्रतिशतता**	**26**	**28**	**32**

@ ब्यौरों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बद्ध वर्ष के वित्त लेखे की "विवरण संख्या 10-राजस्व का लघु शीर्षवार विस्तृत लेखा" देखें। मुख्य शीर्ष "0021- निगम कर को छोड़कर आयकर- निवल आय का राज्य को दिया गया हिस्सा" के अधीन वित्त लेखाओं में क-कर राजस्व के अन्तर्गत दर्ज आंकड़ों को राज्य सरकार द्वारा जुटाये गये राजस्व से अलग रखा गया है और इस विवरणी में विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

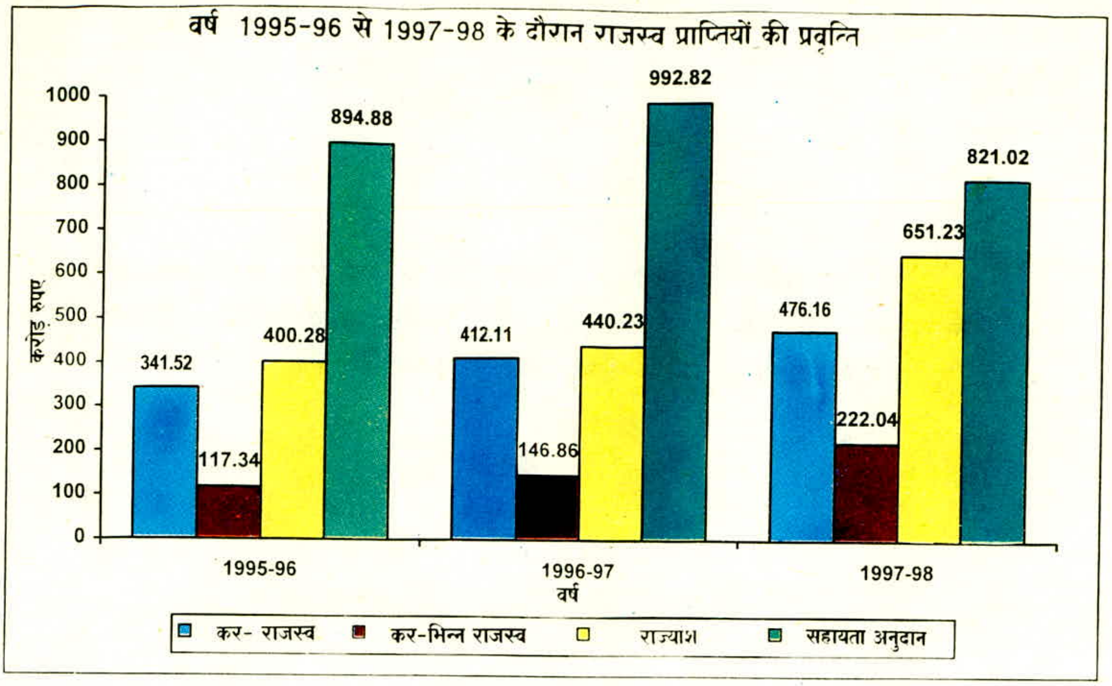

चार्ट 1

(i) वर्ष 1997-98 के दौरान जुटाए गए कर राजस्व के ब्यौरों के साथ-साथ पूर्वगामी दो वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं तथा चार्ट-2 में भी प्रदर्शित हैं:

		1995-96	1996-97 (करोड़ रुपये)	1997-98	वर्ष 1996-97 की अपेक्षा वर्ष 1997-98 में हुई वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	राज्य आबकारी	105.50	132.46	159.54	(+) 20
2.	बिक्री कर	122.83	146.26	171.18	(+) 17
3.	माल तथा यात्री कर	45.80	65.26	96.80	(+) 48
4.	वाहन कर	12.32	14.47	15.84	(+) 9
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	13.78	15.44	18.77	(+) 22
6.	विद्युत कर एवं शुल्क	17.92	18.64	7.05	(-) 62
7.	भू-राजस्व	0.87	5.95	1.67	(-) 72
8.	अन्य	22.50	13.63	5.32	(-) 61
	जोड़	**341.52**	**412.11**	**476.16**	**(+) 16**

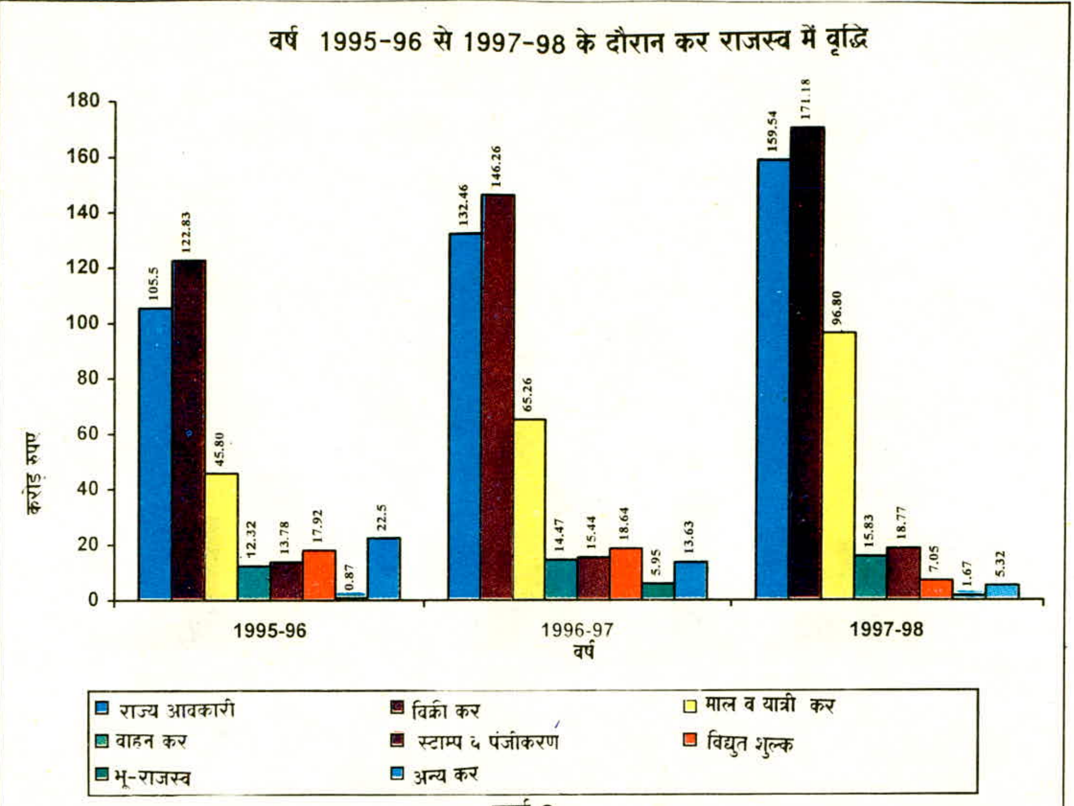

चार्ट 2

(ii) वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक वसूल किए गए कर-भिन्न राजस्व के ब्यौरे निम्नांकित हैं तथा चार्ट 3 में भी प्रदर्शित हैं:

		1995-96	1996-97	1997-98	वर्ष 1996-97 की अपेक्षा वर्ष 1997-98 में हुई वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपये)			
1.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	44.94	41.19	41.15	(-)0.10
2.	ब्याज प्राप्तियां	25.37	24.35	13.01	(-)46
3.	अलौह, खनन एवं धातु-कर्म संबंधी उद्योग	8.73	13.22	30.93	(+) 134
4.	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2.41	2.68	6.13	(+)129
5.	कृषि कर्म (उद्यान सहित)	2.64	2.91	4.09	(+) 41
6.	अन्य	33.25	62.51	126.73	(+)103
	जोड़	**117.34**	**146.86**	**222.04**	**(+)51**

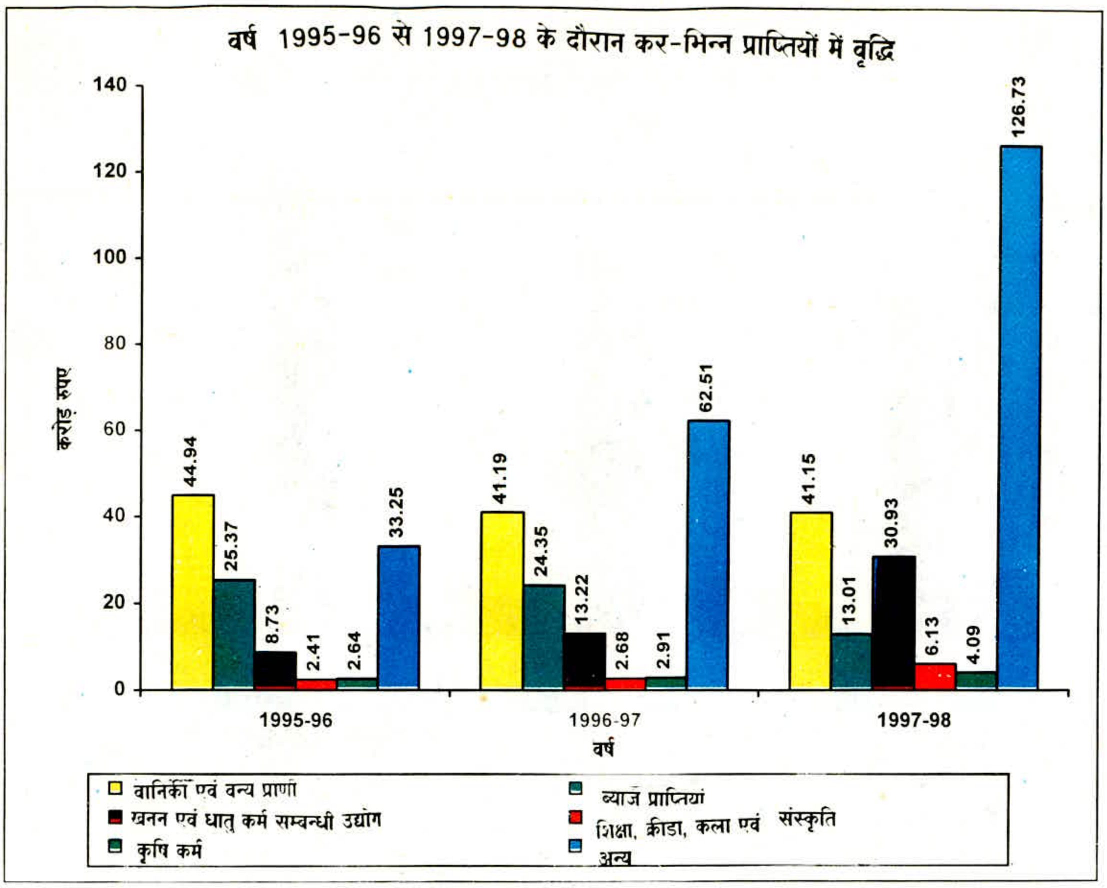

चार्ट 3

निम्नांकित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में उल्लेखनीय भिन्नता थीं तथा उनके बारे में सम्बद्ध विभाग द्वारा बताये गये कारण निम्नांकित थे:

(क) "बिक्री कर" - वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः वस्तुओं के मूल्य में सामान्य वृद्धि के कारण थी।

(ख) "कृषि कर्म (उद्यान सहित)"- वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों की तुलना में उद्यान के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः सेबों के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम में केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति के कारण थी।

(ग) "वाहन कर" - वर्ष 1996-97 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि इस वर्ष अधिक वाहनों के पंजीकरण तथा परिणामतः रूट परमिट शुल्क, पंजीकरण/निरीक्षण शुल्क, कम्पोजिट शुल्क तथा शास्ति राशि की अधिक वसूली के कारण थी।

1.2 बजट आकलनों एवं वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताएं

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के राजस्व से सम्बन्धित बजट आकलनों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएं निम्नांकित हैं:

राजस्व शीर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नताएं वृद्धि(+) कमी(-)	भिन्नता की प्रतिशतता
		(करोड़ रुपए)		
1. राज्य आबकारी	120.00	159.54	(+) 39.54	33
2. बिक्री कर	160.00	171.18	(+) 11.18	7
3. माल तथा यात्री कर	77.00	96.80	(+) 19.80	26
4. वाहन कर	13.14	15.83	(+) 2.69	20
5. स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	12.20	18.77	(+) 6.57	54
6. विद्युत कर एवं शुल्क	16.63	7.05	(-) 9.58	58
7. भू राजस्व	0.96	1.67	(+) 0.71	74
8. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.54	5.32	(-) 0.22	4
9. वानिकी एवं वन्य प्राणी	86.00	41.15	(-)44.85	52
10. ब्याज प्राप्तियां	3.25	13.01	(+)9.76	300
11. ग्रामीण व लघु उद्योग	0.13	1.14	(+) 1.01	777
12. अलौह, खनन तथा धातु-कर्म सम्बन्धी उद्योग	7.00	30.93	(+)23.93	342
13. शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3.19	6.13	(+) 2.94	92
14. कृषि कर्म (उद्यान सहित)	2.09	4.09	(+)2.00	96
15. आवास	0.45	65.86	(+)65.41	14536

बजट आकलनों व वास्तविक आंकड़ों में भिन्नताओं के सम्बन्धित विभागों द्वारा यथाप्रतिवेदित कारण निम्नवत् थे:

(क) "राज्य आबकारी" के अन्तर्गत वृद्धि (33 प्रतिशत) मुख्यतः वर्ष 1997-98 में वसूल नीलामी धन की अधिक राशि, शराब की खपत में वृद्धि, देशी शराब पर आबकारी शुल्क में एक रुपए की वृद्धि तथा भारत में बनी विदेशी शराब पर 6.50 रु० प्रति प्रूफ लीटर की वृद्धि तथा 35 नई मद्यशालाओं के लिए लाइसैंस देने के कारण थी।

(ख) "माल व यात्री कर" के अन्तर्गत वृद्धि (26 प्रतिशत) मुख्यतः किराया दरों में वृद्धि के कारण यात्री कर की अधिक प्राप्ति, अप्रैल 1997 से निजी वाहनों, टैक्सियों व ट्रकों पर एकमुश्त यात्री व माल कर लगाने तथा "फ्लाई ऐश" पर अतिरिक्त भाड़ा कर लगाने के कारण थी।

(ग) "स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस" के अन्तर्गत वृद्धि (54 प्रतिशत) मुख्यतः प्रत्याशा से अधिक विलेखों के पंजीकरण तथा स्टाम्पों की बिक्री के कारण थी।

(घ) "अलौहयुक्त, खनन व धातु कर्म उद्योगों" के अन्तर्गत वृद्धि (342 प्रतिशत) मुख्यतः एक सीमेण्ट कम्पनी द्वारा न्यायालय में दायर मुकदमों के विभाग के पक्ष में निर्णीत होने से लगभग दस करोड़ रु0 की अतिरिक्त प्राप्ति तथा सीमेण्ट संयन्त्रों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के फलस्वरुप अधिक राजस्व की वसूली के कारण थी।

(ड.) "ग्रामीण व लघु उद्योगों" के अन्तर्गत वृद्धि (777 प्रतिशत) मुख्यतः औद्योगिक परिसम्पदाओं, सरकारी आवास से अधिक वसूलियों, शहतूत संयन्त्रों व बीजों की अधिक बिक्री तथा बकाया देय राशियों की वसूली के कारण थी।

(च) "वानिकी एवं वन्य प्राणी" के अन्तर्गत प्रमुख अरण्यपाल ने सूचित किया (अगस्त 1998) कि वर्ष 1997-98 के लिए वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (वन) को 40.50 करोड़ रु0 की राजस्व प्राप्तियों का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया था जबकि बजट दस्तावेज के अनुसार पूर्वोक्त राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 86 करोड़ रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था। 86 करोड़ रु0 के बजट प्रावधान के प्रति वर्ष 1997-98 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 41.15 करोड़ रु0 थीं। भिन्नताओं (52 प्रतिशत) के कारण लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर राज्य सरकार ने सूचित नहीं किए थे (सितम्बर 1998)। ऐसा प्रतीत होता है कि 44.85 करोड़ रु0 का कल्पित राजस्व इतनी राशि के राजस्व घाटे को छिपाने के लिए सृजित किया गया था।

(छ) "प्राप्ति शीर्ष" 0216-आवास" के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के लिए 0.45 करोड़ रु0 के बजट प्रावधान के प्रति "गांधी कुटीर योजना" नामक सरकारी स्कीम के निष्पादनार्थ राज्य सरकार की ओर से आवास एवं नगर विकास निगम से जुटाई गई 65.25 करोड़ रु0 की ऋण राशि कथित रुप से वित्त विभाग के निदेशों के अनुसार पूर्वोक्त प्राप्ति शीर्ष के प्राप्तिस्वरुप जमा की गई थी। इस प्रकार सरकार ने वर्ष 1997-98 के 65.25 करोड़ रु0 के राजस्व घाटे को छिपाने के लिए कल्पित राजस्व सृजित किया था।

1.3 वसूलियों का विश्लेषण

आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य आबकारी, बिक्री कर, यात्री एवं माल कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य करों एवं शुल्कों की कुल वसूलियों (निर्धारण से पूर्व की अवस्था में तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) का ब्यौरा पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरुपी आंकड़ों सहित निम्नांकित है:-

कर शीर्ष का नाम	वर्ष	निर्धारण से पूर्व वसूल की गई राशि	नियमित निर्धारणोत्तर वसूली गई राशि अतिरिक्त मांग	करों/शुल्कों की विलम्बित अदायगी के प्रति शास्ति	ब्याज	अन्य शास्तियां	प्रत्यर्पित राशि	करों/शुल्कों की निवल वसूली	कॉलम 9 पर 3की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(ला ख		रु	प	ये	)
राज्य	1995-96	10568.39	..	2.97	33.99	1.49	56.71	10550.13	100
आबकारी	1996-97	13157.67	..	2.17	82.32	4.19	--	13246.35	99
	1997-98	15831.85	..	10.08	117.56	4.55	9.99	15954.05	99
बिक्री कर	1995-96	11305.56	836.61	56.41	82.63	36.31	34.27	12283.24	92
	1996-97	13946.10	367.45	85.82	196.77	30.20	0.18	14626.16	95
	1997-98	16394.18	430.35	95.52	163.11	34.78	0.10	17117.84	96
यात्री एवं	1995-96	4351.60	170.80	47.49	..	10.55	..	4580.44	95
माल कर	1996-97	6304.48	179.55	27.66	..	14.31	..	6526.00	96
	1997-98	9471.27	150.39	15.08	..	43.23	..	9679.97	98
वस्तुओं एवं	1995-96	2230.89	8.43	1.76	9.41	0.41	1.36	2249.54	99
सेवाओं पर	1996-97	1332.15	12.40	13.28	4.98	0.03	0.57	1362.27	98
अन्य कर व शुल्क	1997-98	473.66	57.33	1.35	0.09	0.07	0.01	532.49	89

उपर्युक्त विवरण आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संगृहीत राजस्व की स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि मार्च 1998 में समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारण से पूर्व की अवस्था में राजस्व संग्रहण 89 तथा 99 प्रतिशत के मध्य था तथा नियमित निर्धारणों के बाद की गई अतिरिक्त मांग की प्रतिशतता 1 तथा 11 के मध्य थी।

1.4 संग्रहण लागत

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों की सकल वसूलियां, संग्रहण व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता और वर्ष

1996-97 के लिए सकल संग्रहण से संगत अखिल भारतीय औसत संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता निम्नांकित है:

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल वसूली	वसूली पर व्यय	सकल वसूली पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1996-97 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
		(लाख रुपए)			
1. राज्य	1995-96	10550.13	221.51	2	
आबकारी	1996-97	13246.35	237.82	1.79	3.53
	1997-98	15954.05	280.62	1.76	
2. बिक्री कर	1995-96	12283.24	257.89	2	
	1996-97	14626.16	262.59	1.79	1.19
	1997-98	17117.84	301.08	1.76	
3. वाहन,माल	1995-96	5811.96	132.54	5	
तथा यात्री	1996-97	7972.48	157.32	1.97	2.60
कर	1997-98	11262.65	218.83	1.94	
4. स्टाम्प	1995-96	1377.86	27.16	2	
शुल्क एवं	1996-97	1544.22	47.07	3	3.37
पंजीकरण	1997-98	1876.63	52.92	3	
फीस					

1.5 बकाया राजस्व

31 मार्च 1998को विभागों द्वारा यथाप्रतिवेदित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की बकाया राशियां निम्नलिखित थीं:-

क्रं0	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां	अभ्युक्तियां
		(लाख रुपए)		
1.	वानिकी एवं वन्य प्राणी	7668.30	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1998)।
2.	बिक्री कर	4973.18	1262.77	4973.18 लाख रु0 में से 642.57 लाख रु0 की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 174.85 लाख रु0 तथा 69.07 लाख रु0 की वसूलियां क्रमशः न्यायालयों, न्यायिक प्राधिकारियों तथा सरकार द्वारा स्थगित की जा चुकी थीं। 811.72 लाख रु0 की मांगे बट्टे-खाते डाली जानी संभावित थी। शेष 3274.97 लाख रु0 के सम्बन्ध में की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1998) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1998)।

क्र0	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण (लाख	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां रुपए)	अभ्युक्तियां
3.	माल तथा यात्री कर	746.10	61.21	746.10 लाख रु0 की बकाया राशियों में से 66.40 लाख रु0 की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशियों के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 20.80 लाख रु0 की वसूलियां न्यायालयों ने स्थगित कर दी थीं। 11.50 लाख रु0 की वसूली आवेदन पत्रों के संशोधन/पुनरावलोकन के कारण अवरुद्ध पड़ी थीं। 39.93 लाख रु0 रु0 की मांगे बट्टे-खाते डाली जानी संभावित थीं। शेष 607.47 लाख रु0 की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1998) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1998)।
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	1624.64	--	यह राशि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से वर्ष 1997-98 के लिए विद्युत शुल्क के रुप में वसूलीयोग्य है। यह बकाया राशि वर्ष 1997-98 में राज्य विद्युत बोर्ड को निस्तारित 1942.60 लाख रु0 के ब्याज उपदान के प्रति समायोजित की जा सकती थी।
5.	राज्य आबकारी	246.12	23.62	246.12 लाख रु0 में से 12.24 लाख रु0 की मांगें भू-राजस्व की बकाया राशि के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 10.45 लाख रु0 की वसूलियां न्यायालयों/न्यायिक प्राधिकारियों ने स्थगित कर दी थी। 9.86 लाख रु0 की मांगें बट्टे खाते डाली जानी संभावित थी। शेष 213.57 लाख रु0 की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1998) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1998)।
6.	पदार्थों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	59.22.	1.54	59.22 लाख रु0 में से 0.58 लाख रु0 की मांगे भू-राजस्व की बकाया राशि के रुप में वसूली हेतु प्रमाणित की जा चुकी थीं। 0.51 लाख रु0 की वसूलियां न्यायालयों/न्यायिक प्राधिकारियों ने स्थगित कर दी थीं। शेष 58.13 लाख रु0 की बकाया राशि के लिए की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1998) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1998)।
7.	जलापूर्ति, स्व-च्छता तथा लघु सिंचाई	948.86	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1998)।
8.	उद्योग (ग्रामीण एवं लघु उद्योगों सहित)	145.07	53.86	बकाया राजस्व की वसूली हेतु कथितरुपेण प्रयास किए जा रहे थे। इन बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई विशेष कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी (अप्रैल 1998) जिसे विभाग ने सूचित नहीं किया था (अगस्त 1998)।

क्र0	राजस्व शीर्ष	बकाया लम्बित संग्रहण	पांच वर्षोपरि बकाया राशियां	अभ्युक्तियां
		(लाख	रुपए)	
9.	पुलिस	429.57	28.59	429.57 लाख रु0 की कुल बकाया राशियों में से अधिकांश बकाया राशियां नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन (123.51 लाख रु0), सिविल विमानन प्राधिकरण (106.73 लाख रु0), भाखड़ा तथा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (62.38 लाख रु0) तथा रेलवे (73.29 लाख रु0) से सम्बद्ध थी। शेष राशि (63.66 लाख रु0) अन्य विभागों/संस्थाओं से सम्बद्ध थी। बकाया राशियों की वसूली का मामला कथितरुपेण प्राधिकारियों के साथ अनुसरित किया जा रहा था।
10.	भू-राजस्व	70.93	28.11	विभाग ने वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1998)।
11.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	61.19	24.97	बकाया राशि शिक्षा (33.15 लाख रु0), ग्रामीण विकास तथा एकीकरण (13.45 लाख रु0), लोक निर्माण (4.39 लाख रु0), सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (2.53 लाख रु0) तथा अन्य विभागों (7.67 लाख रु0) से प्राप्य बताई गई थी। विभाग ने पुनः सूचित किया (जून 1998) कि साप्ताहिक गिरिराज के अंशदान के 52.46 लाख रु0 की बकाया राशि की वसूली माफ करने का मामला सम्बन्धित विभाग के साथ पत्राचाराधीन था। सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (जुलाई 1998)।
12.	स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग	27.12	--	विभाग द्वारा बकाया राशियों को समाप्त करने के लिए कथित रुप से प्रयास किए जा रहे थे।
13.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	28.37	12.21	9.85 लाख रु0, 4.52 लाख रु0 तथा 2.82 लाख रु0 की राशियां क्रमशः वसूली प्रमाणपत्र प्रक्रिया, न्यायालयों द्वारा स्थगन तथा बट्टे-खाते डाले जाने की सम्भावना में शामिल थीं। शेष 11.18 लाख रु0 की बकाया राशियों की वसूली के लिए कथित रुप से प्रयास किए जा रहे थे (अगस्त 1998)।
14.	लोक निर्माण	16.57	प्राप्त नहीं हुए	विभाग ने सम्बद्ध अवधि तथा वसूली हेतु की गई विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की थी (अगस्त 1998)।
	जोड़	17045.24		

1.6 विभागीय आंकड़ों का समाधान

प्राप्तियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए सभी सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों को वार्षिक लेखाओं के संवरण से पूर्व महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में पुस्तांकित प्राप्तियों के साथ अपनी सम्बद्ध विभागीय प्राप्तियों का आवधिक रुप से मिलान किया जाना अपेक्षित है।

सरकार/विभाग को मिलान में विलम्ब आवधिक रुप से सूचित करने के बावजूद एक नियन्त्रक अधिकारी* ने वर्ष 1997-98 के दो लेखा शीर्षों के सम्बन्ध में 3.81 करोड़ रु0 की प्राप्तियों का मिलान नहीं किया था।

यह मामला सरकार को अगस्त 1998 में सूचित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

1.7 अनिर्णीत अपीलें

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई (अगस्त 1998) सूचनानुसार मार्च 1998 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बिक्री कर, यात्री एवं माल कराधान अधिनियम आदि के अन्तर्गत दर्ज अपीलों की संख्या, निपटाई गई अपीलों की संख्या तथा अपील प्राधिकारियों के पास अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या निम्नवत् थीं:-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दर्ज अपीलों की संख्या	जोड़	वर्ष के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर शेष	कुल मामलों पर निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	456	212	668	316	352	47
1994-95	352	275	627	404	223	64
1995-96	223	324	547	290	257	53
1996-97	257	460	717	314	403	44
1997-98	403	431	834	339	495	25

----

* प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य-(0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता: 3.69 करोड़ रु0; 0702-लघु सिंचाई: 0.12 करोड़ रु0)

मार्च 1998 की समाप्ति पर बकाया पड़े 495 मामलों में से सबसे पुराना मामला मई 1986 का था। इन मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.8 कर/शुल्क की धोखाधड़ी व अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई (अगस्त 1998) सूचनानुसार वर्ष के आरम्भ में अनिर्णीत करों व शुल्कों की धोखाधड़ी व अपवंचन के मामलों, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या, निर्धारण/छानबीन पूर्ण किए गए मामलों की संख्या तथा वर्ष के दौरान व्यापारियों से की गई करों/शुल्कों की अतिरिक्त मांग (शास्तियों आदि सहित) तथा मार्च 1998 के अन्त में अन्तिम रुप दिए जाने हेतु अनिर्णीत मामलों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

क्रमांक	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 1997 को अनिर्णीत मामले	वर्ष 1997-98 के दौरान पता लगाए मामले	निर्धारण/छानबीन पूर्ण किए गए मामलों की संख्या तथा शास्ति सहित अतिरिक्त मांग		31 मार्च 1998 को अन्तिम रुप दिए जाने हेतु अनिर्णीत मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग राशि (लाख रुपये)	
1.	बिक्री कर	1110	1976	2306	29.09	780
2.	राज्य आबकारी	--	124	123	1.62	1
3.	यात्री एवं माल कर	3007	3177	3261	30.02	2923
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	8	3	2	0.04	9
	जोड़	**4125**	**5280**	**5692**	**60.77**	**3713**

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान बिक्री कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियों, अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 747 मामलों में 3892.54 लाख रु0 के राजस्व अवनिर्धारण/अल्प उद्ग्रहण/हानि का उद्घाटन हुआ। वर्ष 1997-98 में सम्बद्ध विभागों ने 371 मामलों में 581.14 लाख रु0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार कर लिये जिनमें से 0.43 लाख रु0 के 7 मामले वर्ष 1997-98 के दौरान लेखापरीक्षा में सूचित किए गए और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में सूचित किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में 27.49 करोड़ रु0 के कर, शुल्क, ब्याज, शास्ति आदि के अनुद्ग्रहण, अल्प-उद्ग्रहण से सम्बद्ध 28 परिच्छेद (दो समीक्षाओं सहित) निहित हैं। विभाग/सरकार ने 5.44 करोड़ रु0 की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली थीं जिसमें से जून 1998 तक 4.44 करोड़ रु0 की वसूली की जा चुकी थी। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.10 बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(i) लेखापरीक्षा में ध्यान में आई व तत्काल न निपटाई गई प्रारम्भिक अभिलेखों के रख-रखाव की त्रुटियों सहित दोषपूर्ण निर्धारणों, कर, शुल्क, फीस आदि के अल्प उद्ग्रहण पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों व अन्य विभागीय प्राधिकारियों को सूचित की जाती हैं। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को सूचित की जाती हैं। कार्यालयाध्यक्षों से दो मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर भेजे जाने अपेक्षित होते हैं।

(ii) 31 दिसम्बर 1997 तक समाप्त तीन वर्षों के दौरान जारी राजस्व प्राप्तियों से सम्बद्ध उन निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या नीचे दी गई है जो 30 जून 1996, 30 जून 1997 तथा 30 जून 1998 को विभागों द्वारा समायोजन हेतु अनिर्णीत थीं:-

	जून के अन्त में		
	1996	1997	1998
समायोजन हेतु अनिर्णीत निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,335	2,502	2568
बकाया पड़ी लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	6,688	7,206	7368
निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपए)	123.68	130.76	140.37

(iii) बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्षबद्ध ब्यौरा (30 जून 1998 को) निम्नवत् है:-

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए)	बकाया संख्या		निहित प्राप्ति राशि (करोड़ रुपये)
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
1993-94 तक	1536	3770	73.65
1994-95	204	621	25.13
1995-96	238	655	11.39
1996-97	317	1,251	15.07
1997-98	273	1,071	15.13
जोड़	**2,568**	**7,368**	**140.37**

(iv) 30 जून 1998 को बकाया पड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागबद्ध विवरण निम्नांकित है:-

विभाग	बकाया संख्या		निहित प्राप्ति राशि (करोड़ रुपए)	अभ्युक्तियों का वर्ष	उन निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां			
1. राजस्व	494	1,010	5.94	1974-75 से 1996-97	45
2. वन कृषि एवं संरक्षण	489	1,623	89.10	1970-71 से 1996-97	12
3. आबकारी व कराधान	639	2,305	28.27	1971-72 से 1996-97	43
4. परिवहन	410	1,267	4.26	1971-72 से 1996-97	22
5. अन्य विभाग (लोक निर्माण, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, कृषि तथा भू-संरक्षण, उद्यान, सहकारिता, खाद्य एवं आपूर्ति तथा उद्योग)	536	1,163	12.80	1974-75 से 1996-97	31
जोड़	2,568	7,368	140.37		153

यह मामला जुलाई 1998 में सरकार के मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

1.11 बकाया निर्धारण

1993-94 से 1997-98 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में बिक्री कर एवं यात्री तथा माल कर निर्धारण के लम्बित मामलों, वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ निश्चित हुए मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में अन्तिम रुप देने हेतु लम्बित मामलों की

संख्या के विभाग द्वारा यथाप्रस्तुत ब्यौरे निम्नांकित हैं:-

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान निर्धारणार्थ मामले	जोड़	वर्ष के दौरान अन्तिम रुप दिए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कॉलम 4 पर 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	44,209	32,798	77,007	28,097	48,910	36
1994-95	48,910	34,610	83,520	32,396	51,124	39
1995-96	51,124	35,667	86,791	35,909	50,882	41
1996-97	50,882	42,861	93,743	33,091	60,652	35
1997-98	60,652	45,441	1,06,093	34,279	71,814	32

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित है कि वर्ष 1993-94 के आरम्भ में अनिर्णीत मामलों की संख्या 44,209 थी जो वर्ष 1997-98 के अन्त में 62 प्रतिशत की वृद्धि दशाते हुए 71,814 तक पहुंच गई जबकि निर्धारण मामलों को अन्तिम रुप देने की प्रतिशतता 1995-96 वर्ष में बढ़कर 41 प्रतिशत होने पर भी वर्ष 1997-98 में घटकर 32 प्रतिशत रह गई।

दूसरा अध्याय

बिक्री कर

दूसरा अध्याय: बिक्री कर

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1	25
बिक्री कर का अपवंचन	2.2	25
शास्ति का अनुद्ग्रहण	2.3	37
बिक्री कर की गलत छूट	2.4	38
गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.5	39
बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.6	39

दूसरा अध्याय

बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जांच से 196 मामलों में 322.70 लाख रु0 के कर के अल्पनिर्धारण का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	क्रय/विक्रय छिपाने के कारण कर का अपवंचन	79	254.08
2.	व्यापारियों का अपंजीकरण	8	10.60
3.	ब्याज/शास्ति का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	23	6.39
4.	कर का अवनिर्धारण	65	20.60
5.	अन्य अनियमितताएं	21	31.03
	जोड़	196	322.70

वर्ष 1997-98 के दौरान सम्बद्ध विभाग ने 124 मामलों में 22.13 लाख रु0 का अवनिर्धारण स्वीकार कर लिया जिनमें से 0.12 लाख रु0 के तीन मामले वर्ष 1997-98 की लेखापरीक्षा में सूचित किए गए थे और शेष मामले पूर्ववर्ती वर्षों में सूचित किए गए थे। इनमें सबसे पूर्ववर्ती वर्ष 1980-81 था। लेखापरीक्षा द्वारा "बिक्री कर का अपवंचन" पर की गई समीक्षा के परिणाम तथा 747.01 लाख रु0 के वित्तीय प्रभाव वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कुछ मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

2.2 बिक्री कर का अपवंचन

2.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कर देने वाला व्यापारी, व्यापारी के रुप में कारोबार नहीं चला सकता जब तक वह पंजीकृत नहीं हो जाता तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता। पंजीकृत होने वाले व्यापारी स्वयं को पंजीकृत न करवा कर कर की चोरी करते हैं। पंजीकृत व्यापारी कर का अपवंचन बिकियों / खरीदों को छुपाकर, सत्यों को गलत बताकर तथा लेखाओं की जालसाजी द्वारा करते हैं। अपने लेखाओं की सही स्थिति न बताने वाले व्यापारियों के प्रति अधिनियम में दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ठगी करने वाली औद्योगिक इकाइयां कर की दर में रियायत अथवा कर अदायगी से छूट लेने के लिए बताई गई शर्तों

का पालन न करके कर से बचाव करती हैं। लघु औद्योगिक इकाइयां जो कर की छूट/रियायती दरों पर कर की छूट प्राप्त करती है विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जारी न रहने की स्थिति में पूर्ण दरों पर करों का परिहार करती हैं। विनिर्माण करने वाली इकाइयों के मामले में सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना ही कर की छूट प्राप्त की जाती है।

2.2.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

बिक्री कर कानूनों तथा नियमों का संचालन आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किया जाता है जिसका मुखिया आबकारी एवं कराधान आयुक्त होता है। उसकी सहायता के लिए दक्षिण क्षेत्र हेतु एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा उत्तर क्षेत्र हेतु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त होता है। संबंधित कर कानूनों तथा नियमों के संचालन हेतु जिला स्तर पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी, कराधान निरीक्षक और अन्य सम्बद्ध कर्मी होते हैं। अपवंचन की जांच में सहयोग हेतु विभाग में दक्षिण क्षेत्र तथा उत्तर क्षेत्र प्रत्येक के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अधीन उड़न दस्ते भी कार्य कर रहे हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

कर के अपवंचन की सीमा जांचने के उद्देश्य से 11 जिला कार्यालयों तथा 45 बैरियरों में से 8 जिला कार्यालयों तथा 12 बैरियरों से संबंधित अभिलेखों की 1994-95 से 1996-97 की अवधि की लेखापरीक्षा में नमूना जांच (जून 1997 से मार्च 1998) की गई थी।

2.2.4 मुख्य बातें

(i) **एक प्रतिष्ठित सीमेण्ट औद्योगिक इकाई ने विभाग द्वारा अधिसूचना के उपबंधों को लागू न करवाने के कारण 437.10 लाख रु0 के कर की गलत छूट प्राप्त की।**

(परिच्छेद 2.2.6)

(ii) **शिमला के एक व्यापारी ने वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के 31.82 लाख रु0 गलत रुप से एकत्रित किए और इस राशि को सरकारी लेखे में जमा करवाने के स्थान पर अपने पास रखा।**

(परिच्छेद 2.2.7)

(iii) **वर्ष 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान फोटो पहचान पत्रों की 487.34 लाख रु0 की बिक्री प्रकट न करने के कारण ब्याज तथा शास्ति को मिलाकर बिक्री कर के 57.92 लाख रु0 का अपवंचन हुआ।**

(परिच्छेद 2.2.8)

(iv) **दो व्यापारियों द्वारा चावल तथा गंदम के आटे की बिक्री पर अमान्य कटौती के कारण ब्याज को मिलाकर 76.01 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ।**

(परिच्छेद 2.2.9)

(v) **रियायत लेने हेतु विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन से पांच व्यापारियों द्वारा अपना कारोबार बंद करने पर रियायत वापिस न लेने के परिणामस्वरुप 7.98 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ।**

[परिच्छेद 2.2.11(i)]

(vi) **12 बैरियरों की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान 75.43 लाख रु0 के कर प्रभाव से युक्त 924.84 लाख रु0 की रेत तथा बजरी ढोने वाले 1,05,792 माल वाहनों ने घोषण प्रपत्र भरे बिना ही बैरियरों को पार किया। विभाग इन व्यापारियों को बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करने में विफल रहा जिसके कारण 75.43 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ।**

(परिच्छेद 2.2.12)

(vii) **दो जिलों में पांच व्यापारियों ने आय कर विभाग तथा बिक्री कर विभाग को भिन्न लेखे दशनि से 5.73 लाख रु0 के कर का अपवंचन किया।**

(परिच्छेद 2.2.13)

2.2.5 राजस्व प्रवृत्ति

मार्च 1997 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान नियमित निर्धारण के बाद एकत्रित राशि की प्रतिशतता की तुलना में कुल बिक्री कर संग्रहण (पूर्व निर्धारिण पर तथा नियमित निर्धारण पश्चात्) का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपए)

वर्ष	पुर्व-निर्धारिण स्तर पर एकत्रित राशि	नियमित निर्धारिण पश्चात् एकत्रित राशि	कुल एकत्रित राजस्व	नमूना जांच के परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा पुनरीक्षण का वित्तीय प्रभाव	कालम 3 तथा 4 की प्रति-शतता	कालम 4 तथा 5 की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1994-95	9,638.10	1,079.77	10,717.87	58.14	10	0.54
1995-96	11,305.56	977.68	12,283.24	179.46	8	1.46
1996-97	13,946.10	680.06	14,626.16	477.77	5	3.27

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्षानुवर्ष नियमित निर्धारण के पश्चात् उठाई गई अतिरिक्त मांग की प्रतिशतता 10 से 5 रह गई। वास्तव में वर्ष 1996-97 में कुल संग्रहण के प्रति पुनरीक्षण का वित्तीय प्रभाव 3.27 प्रतिशत था जो नियमित संग्रहण के पश्चात् एकत्र की गई राशि का 70.25 प्रतिशत है।

2.2.6 छूट का गलत दावा

राज्य सरकार ने 30 जनवरी 1996 की अधिसूचना द्वारा एक प्रतिष्ठित सीमेण्ट औद्योगिक इकाई मैसर्ज एसोसिएट सीमेण्ट कम्पनीज लिमिटेड, बरमाणा, जिला बिलासपुर को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के आधार पर नई इकाई के सम्बन्ध में 30 जनवरी 1996 से नौ वर्षों की अवधि हेतु बिक्री कर से छूट दी:

(क) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी की पुरानी इकाई (वर्ष 1991 से विद्यमान) के संबंध में कर का भुगतान नई इकाई के संबंध में वर्ष 1991-92 के दौरान क्रमश: 5,51,664 मीट्रीक टन तथा 3,71,028 मीट्रीक टन विक्रय की गई प्रमात्रा पर छूट की अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में किया जाना था; तथा

(ख) विस्तार के कारण स्थापित नई इकाई के संबंध में छूट की अवधि के दौरान आद्योपांत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुरानी इकाई का 9,22,692 मीट्रीक टन सीमेण्ट के विनिर्माण का स्तर भी बनाए रखना था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1997) कि व्यापारी ने सरकार द्वारा दिए गए छूट प्रस्ताव प्रमाणपत्र के आधार पर नई इकाई का 30.01.1996 से 31.03.1997 तक 6,300.47 लाख रु0 मूल्य की सीमेण्ट बिक्री पर 437.10 लाख रु0 का कर अदा नहीं किया।

यह भी देखा गया कि छूट गलत थी क्योंकि वह छूट की अवधि के दौरान पुरानी इकाई के कर भुगतान तथा सीमेण्ट विनिर्माण (1991-92 का स्तर) का स्तर बनाए रखने में विफल रहा।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (अगस्त 1997) विभाग ने पुष्टि की (मार्च 1998) कि निर्धारिती शर्तों का पालन करने में विफल रहा तथा उसने इन शर्तों को हटाने हेतु अभ्यावेदन किया था जो सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। परिणामत: मामले का निर्धारण किया गया और 437.10 लाख रु0 की मांग की गई तथा राशि वसूल (फरवरी-मार्च 1998) की गई।

2.2.7 अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान एकत्रित कर का अपवंचन

ऑप्टीकल फाईबर तार विनिर्माण तथा बिक्री में लगी शिमला जिले की एक औद्योगिक इकाई ने 1 जुलाई 1995 से उत्पादन आरम्भ किया। व्यापारी ने वर्ष 1995-96 के दौरान अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में 540.30 लाख रु0 के विनिर्मित माल को बेचा तथा प्रबन्धक जिला औद्योगिक केन्द्र, शिमला द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र के आधार पर कर की अदायगी से छूट का दावा किया।

व्यापारी द्वारा केन्द्रीय आबकारी विभाग को प्रस्तुत अभिलेखों को लेखापरीक्षा से परस्पर मिलान से पता चला कि वर्ष 1995-96 के दौरान व्यापारी ने 678.45 लाख रु0 की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां की तथा उस पर 31.82 लाख रु0 का केन्द्रीय बिक्री कर एकत्रित किया। व्यापारी ने उपरोक्त कर को सरकारी लेखे में जमा (सितम्बर 1997) नहीं करवाया। विभाग ने इस राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी (सितम्बर 1997)।

2.2.8 छिपाई गई कुल बिक्री पर कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत "कुल बिक्री" में प्रदत्त अवधि के दौरान व्यापारी द्वारा वास्तविक क्रय व विक्रय की धनराशि का जोड़ सम्मिलित होता है। अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री से तात्पर्य नकदी या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु माल के रुप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण से है और इसमें निर्माणकार्य संविदा के निष्पादन में अन्त:ग्रस्त माल (चाहे माल या किसी अन्य रुप में हो) के रुप में सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्मिलित है। यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर अदा करने में विफल रहता है तो उसे देय कर पर एक मास तक एक प्रतिशत तथा तत्पश्चात् चूक रहने तक डेढ़ प्रतिशत मासिक दर से ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी ने अपनी बिक्रियों, खरीदों अथवा माल भण्डारों को छिपाने के विचार से झूठे अथवा गलत लेखाओं का अनुरक्षण किया है अथवा अपनी बिक्रियों अथवा खरीदों का कोई विवरण छिपाया हो या दिया हो, अथवा किसी प्राधिकारी के सामने झूठी अथवा गलत सूचना प्रस्तुत की हो तो उसे शास्ति के रुप में वह राशि (निर्धारित की गई अथवा निर्धारित की जाने वाली कर राशि के अतिरिक्त) जो पच्चीस प्रतिशत से कम न हो किन्तु कर राशि से डेढ़ गुणा से अधिक न हो, देनी होगी।

निर्वाचन विभाग से लेखापरीक्षा में एकत्रित सूचनानुसार टेलीविजन, कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी की बिक्री से जुड़े एक व्यापारी ने 18.74 रु0 प्रति पहचान पत्र की पूर्व निश्चित दर पर पहचान पत्र बनाने तथा सरकार को उसकी बिक्री करने का अनुबन्ध किया (नवम्बर 1994) ताकि ये पात्र मतदाताओं को जारी किए जा सकें। व्यापारी ने 497.62 लाख रु0 की लागत से 26,55,408 पहचान पत्रों की आपूर्ति की। चुनाव विभाग ने इसमें से 10.28 लाख रु0 के 54,864 पहचानपत्रों को अस्वीकृत कर दिया। अत: व्यापारी की 1994-95 से 1996-97 के वर्षों के दौरान पहचानपत्रों की बिक्री से सम्बन्धित कुल बिक्री 487.34 लाख रु0 की हुई। सहायक आबकारी एवं

कराधान आयुक्त, शिमला की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि व्यापारी ने इन बिक्रियों को जिला कराधान कार्यालयों को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियों में प्रकट नहीं किया था। परिणामत: 38.99 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त 9.75 लाख रु0 न्यूनतम शास्ति तथा 9.18 लाख रु0 ब्याज (सितम्बर 1997 तक) भी उद्ग्राह्य था। इसके लेखापरीक्षा में विभाग को बताया गया था (जुलाई-सितम्बर 1997) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

2.2.9 अदेय कटौती के कारण कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियम, 1970 के नियम 31 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती गेहूं की बिक्री को सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित रियायती क्षेत्रों के रुप में बिक्री कर से छूट प्राप्त है। यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर अदा नहीं करता तो देय कर पर ब्याज एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से एक मास की अवधि तक तथा तत्पश्चात् चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य है।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 1994-95 से 1996-97 के दौरान एक व्यापारी* ने 3496.53 लाख रु0 का गेहू, चावल तथा गेहूं-आटा बेचकर अपनी त्रैमासिक विवरणियों में समग्र बिक्रियों पर छूट प्राप्त की। उपरोक्त 1723.57 लाख रु0 की बिक्री चावल तथा गेहूं-आटे से सम्बन्धित थी जिन पर छूट उपलब्ध नहीं थी। परिणामत: 60.33 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त 15.68 लाख रु0 (सितम्बर 1997 तक) का ब्याज उद्ग्राह्य था। इसे लेखापरीक्षा में बताया गया था (अक्तूबर 1997) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

2.2.10 अपंजीकरण के कारण कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कर-भुगतान का दायी व्यापारी केवल तभी कारोबार चला सकता है, जब वह पंजीकृत हो चुका हो और उसके पास वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र हो। उन व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य है जिनकी सकल कुल बिक्री करयोग्य प्रमात्रा (40,000 रु0 ऐसे व्यापारियों को जो बिक्री हेतु स्वयं विनिर्माण अथवा उत्पाद करते हों और 3 लाख रु0 अन्य किसी व्यापारी के मामले में) से बढ़ती हो।

---

* हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

(क) आयकर विभाग, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग तथा बिक्री कर विभाग के अभिलेखों से एकत्रित सूचनानुसार 4 व्यापारियों के सम्बन्ध में यह देखा गया कि प्रत्येक मामले में उनकी वार्षिक कुल बिक्री "करयोग्य प्रमात्रा" से बढ़ गई थी किन्तु उन्होंने व्यापारियों के रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया था। इन मामलों को पकड़ने तथा पंजीकरण करवाने में विभाग भी विफल रहा। इस कारण 12.63 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ जिसका व्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	जिले का नाम	व्यापारियों की संख्या	लेन-देन की राशि (लाख रुपए)	उद्ग्राह्य कर की दर	कर का अपवंचन (लाख रुपए)	अभ्युक्तियां
1992-93	शिमला	1	9.80	4% (सरकारी कार्य) अन्यथा 8%	0.44	निर्धारिती ने आय कर विवरणियों में अपनी कुल बिक्री 23.47 लाख रु0 दर्शाई थी जिनमें से 9.80 लाख रु0 ठेके निर्माण निष्पादन हेतु सामग्री खरीद तथा प्रयुक्ति का मूल्य था।
1994-95 से 1996-97	शिमला	1	78.92	8%	6.31	75.01 लाख रु0 की लेखन सामग्री तथा 3.91 लाख रु0 के रद्दी कागज क्रमशः स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी पार्टियों को बेचे गए थे।
1986-87 से 1992-93	कांगड़ा	2	75.18	7.7% 1990-91 तक 8% 01.04.1991 से आगे	5.88	निर्धारिती पत्थर तोड़ने (रोड़ी) तथा उनकी बिक्री का कार्य करते थे तथा उन्होंने आयकर विवरणियों में बिक्रियां एक लाख रु0 से अधिक दर्शाई थीं।
जोड़		4	163.90		12.63	

(ख) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत, किन्हीं माल के नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य आमूल्य प्रतिफल के उद्देश्य, जो विशिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं, से उनके प्रयोग के अधिकार का अन्तरण बिक्री की परिभाषा में आता है और इसलिए भाड़ा प्रभारों के सम्बन्ध में आय पर कर का उद्ग्रहण होना चाहिए। शिमला जिले के एक ठेकेदार के मामले की जांच से पता चला कि उसने जेसीबी उत्खनक के भाड़े प्रभारों के वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 6,97,105 रु0 और 6,02,013 रु0 के भुगतान दर्शाए थे। भुगतान किए गए व्यक्ति का नाम न तो अभिलेखों में उपलब्ध था न ही विभाग को पता था। भाड़े प्रभारों पर कर के अनुद्ग्रहण के कारण 1.04 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ। इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (अक्तूबर 1997) विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 1997) कि मामला कार्रवाई अधीन था तथा नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। इस सम्बन्ध में और सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

2.2.11 कर वसूल करने में विफलता

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी जुलाई 1978 की अधिसूचना द्वारा 7 प्रतिशत/7 प्रतिशत से अधिक की दर से करयोग्य माल विनिर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को क्रमशः प्रथम पांच वर्षों के लिए 2 प्रतिशत/3 प्रतिशत तथा अगले पांच वर्षों हेतु 4 प्रतिशत/5 प्रतिशत की रियायती दर पर कुछ शर्तों के साथ कर भुगतान अनुमत किया गया था। 7 प्रतिशत से कम के सामान्य कर की दर पर करयोग्य माल के मामले में कुछ शर्तों का पालन करने पर कर के भुगतान से पूर्ण छूट दी गई थी। अनुबंधित शर्तों में से एक शर्त यह थी कि इकाई पूर्व प्राप्त रियायत अवधि के बराबर की और अवधि तक कार्य जारी रखेगी अन्यथा उक्त अवधि के दौरान रियायत के बिना राशि पर कर देना होगा। यह छूट भी कुछ शर्तों का पालन करने पर थी।

(i) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा तथा कांगड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि उत्पादन शुरु करने वाली (जुलाई 1980 तथा मई 1988 के मध्य) 5 लघु औद्योगिक इकाइयों ने 149.93 लाख रु0 का माल बेचा तथा 7.98 लाख रु0 के कर की रियायत प्राप्त की। इन इकाइयों ने उत्पादन बन्द कर दिया (जनवरी 1986 तथा मार्च 1995 के मध्य) और इस प्रकार रियायत प्राप्त अपेक्षित अवधि हेतु कार्य जारी नहीं रख पाईं। तथापि उनके द्वारा प्राप्त कर/रियायत वसूल करने हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामतः अधिभार सहित 7.98 लाख रु0 के कर का अपवंचन हुआ। इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा ने बताया (मार्च 1998) की व्यापारी को पुनर्निर्धारण का नोटिस जारी कर दिया गया था। शेष मामलों में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा ने बताया (मार्च 1998) कि मामले पर अभी कार्रवाई की जानी थी। आगे की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

(ii) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान निर्धारण आदेशों से यह देखा गया (जनवरी 1998) कि 8 नवम्बर 1983 से 7 नवम्बर 1988 तक उत्पादन में लगी लघु औद्योगिक इकाई ने 15.93 लाख रु0 का माल बेचा तथा बिक्री कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त की। इकाई बंद थी तथा उसके बाद उत्पादन नहीं किया गया। निर्धारण अधिकारी ने अन्तः भण्डार के आधार पर वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के निर्धारणों को 1 जून 1996 को अंतिम रुप दिया किन्तु व्यापारी द्वारा पहले से प्राप्त रियायत को वापिस नहीं लिया। परिणामतः 52,574 रु0 (अधिभार सहित) के कर का अपवंचन हुआ (जनवरी 1998)। इसे लेखापरीश्क्षा में विभाग को बताया गया था (जनवरी 1998) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

2.2.12 घोषणा फार्मों के प्रावधानों को लागू न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत राज्य से बाहर आयात किए गए करयोग्य माल पर भी कर उद्ग्राहय होता है। इस उद्देश्य हेतु माल वाहन प्रभारी मालिक अथवा व्यक्ति को राज्य के सीमाओं को पार करते समय बैरियर पर घोषणा फार्म (एसटी-XXVI-ए) की तीन प्रतियां देनी होगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियम, 1970 में विहित प्रावधानों तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पंजीकृत तथा अपंजीकृत व्यापारियों के सम्बन्ध में बैरियरों पर पृथक रुप से जिलों के लिए क्रमशः फार्म एसटी-XXVI-डी और एसटी-XXVI-ई में पृथक सफेद तथा गुलाबी रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिसमें पंजीकृत तथा अपंजीकृत व्यापारियों के बैरियर से जाने वाले प्रत्येक प्रेषण माल के विवरण दर्ज किए जाने होते हैं। उसमें उल्लिखित घोषणा फार्मों सहित सफेद तथा गुलाबी रजिस्टर में निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय व्यापारियों की पुस्तकों से परस्पर सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिले के प्रभारी अधिकारी को बनाकर प्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं।

12 बैरियरों के 1994-95 से 1996-97 के वर्षों के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क से ले जाने वाले कुछ माल पर) अधिनियम, तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान (संशोधित) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत 942.84 लाख रु० (रेत 570.05 लाख रु० तथा बजरी 372.79 लाख रु०) के रेत (3,90,689 टन) और बजरी (4,80,543 टन) ले जाने वाले 1,05,792 वाहनों ने कर का भुगतान किया। तथापि वाहन मालिकों को घोषणा फार्मों को भरे बिना बैरियर पार करने दिया गया। इस कारण विभाग इन मामलों में अन्तःग्रस्त दोनों पंजीकृत तथा अपंजीकृत व्यापारियों को विहित जांच करने में विफल रहा। इस आयात किए गए रेत और बजरी पर 75.43 लाख रु० (8 प्रतिशत की सामान्य दर पर) का बिक्री कर उद्ग्राहय था। इसे लेखापरीक्षा में विभाग को बताया गया था (जून 1997 और जुलाई 1997 के मध्य) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

2.2.13 क्रयों/बिक्रियों को छुपाने के कारण कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत निर्धारण को अन्तिम रुप देते समय निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापारी के लेखाओं की जांच करना अपेक्षित है ताकि अधिकारी स्वयं को संतुष्ट कर ले कि व्यापारी द्वारा की गई सभी खरीदें तथा बिक्रीयां उपयुक्त रुप से लेखाबद्ध कर ली गई हैं। यदि व्यापारी ने अपनी बिक्रियां अथवा खरीदों को छिपाने के उद्देश्य से झूठे अथवा गलत लेखे बनाए हैं तो उससे शास्ति के रुप में (निर्धारण किए गए कर के अतिरिक्त) निर्धारित किए गए अथवा निर्धारित किए जाने वाले कर की राशि के 25 प्रतिशत से कम न हो कर किन्तु डेढ़ गुणा से अधिक न हो का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करता तो उसे देय कर पर एक मास तक एक प्रतिशत मासिक तथा

तत्पश्चात् चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत मासिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

(i) बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और आबकारी एवं कराधान कार्यालयों, किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1994 तथा नवम्बर 1997 के मध्य) कि वर्ष 1990-91 तथा 1995-96 के मध्य 148 मामलों में निर्धारणों को व्यापारियों द्वारा अपने व्यापारिक लेखाओं में प्रकट की गई 586.70 लाख रु0 की खरीदों के आधार पर अन्तिम रुप दिया गया (नवम्बर 1991 तथा मार्च 1997)।

अभिलेखों में उपलब्ध बैरियर पर्चियों (एसटी-XXVI-क) तथा "ग" प्रपत्र के विवरणों की लेखापरीक्षा में जांच से पता चला कि इन वर्षों के दौरान व्यापारियों ने वास्तव में 746.95 लाख रु0 के माल की खरीद की थी। अतः व्यापारियों ने अपनी 182.35 लाख रु0 (लाभ, भाड़ा आदि के प्रति आकस्मिक जोड़ने के पश्चात्) की खरीदों को छुपाया था। विभाग की अभिलेखों में उपलब्ध बैरियर पर्चियों तथा "ग" प्रपत्र की जांच न करने के कारण 22.34 लाख रु0 (न्यूनतम शास्ति तथा ब्याज सहित) के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (जून 1994 तथा मार्च 1998 के मध्य) विभाग ने बताया कि 71 मामलों में 5.55 लाख रु0 की अतिरिक्त मांग की जा चुकी थी जिसमें से 62 मामलों में 4.87 लाख रु0 वसूल किए जा चुके थे। शेष 77 मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

(ii) आयकर विभाग को दिए गए लेखाओं के साथ चम्बा तथा शिमला के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को प्रस्तुत किए गए व्यापारिक लेखों की लेखापरीक्षा में किए गए सहसम्बन्ध से पता चला कि पांच व्यापारियों ने (चम्बाः 1 तथा शिमलाः4) आयकर विभाग तथा बिक्री कर विभाग को भिन्न व्यापारिक लेखे प्रस्तुत किए थे। इसके कारण 5.73 लाख रु0 (2.37 लाख रु0 के ब्याज तथा शास्ति सहित) के कर का अपवंचन हुआ जो निम्नांकित है:-

जिले का नाम	वर्ष	व्यापारियों की संख्या	आयकर विभाग को बताई गई खरीदें/बिक्रियां	बिक्री कर विभाग को बताई गई खरीदें/बिक्रियां	अन्तः ग्रस्त कर		
					कर	शास्ति	ब्याज
						(लाख रुपए)	
चम्बा	1993-94	1	15,86,391 (खरीदें)	3,28,295 (खरीदें)	1.11*	0.28	0.62
शिमला	1991-92 से 1993-94	4	41,62,457 (बिक्रियां)	13,43,919 (बिक्रियां)	2.25	0.56	0.91

* कर की संगणना हेतु विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ तथा आकस्मिक प्रभारों के 10 प्रतिशत को जोड़ा गया है।

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (जून 1997 तथा अक्तूबर 1997 के मध्य) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा ने बताया कि मामला व्यापारी के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। शिमला जिले के सम्बन्ध में आगे की गई प्रगति तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

2.2.14 क्रय कर का अपवंचन

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनानुसार (मई 1987 तथा मार्च 1988) यदि कर भुगतान का दायी व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी खरीद पर, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया, किसी साधन से किसी करयोग्य माल की खरीद करता है तथा ऐसे माल अथवा उसमें से विनिर्मित माल को हिमाचल प्रदेश से बाहर खपत अथवा अपनी शाखा या कमीशन ऐजेंट को बिक्री हेतु भेजता है, तो उसे ऐसे माल के खरीद मूल्य पर चार प्रतिशत अथवा उस दर पर जो राज्य में उसकी बिक्री पर देय कर की दर है, इसमें जो भी कम हो, पर कर देना होगा।

(i) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन तथा सिरमौर जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि तीन व्यापारियों के वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के निर्धारणों को (जनवरी 1996 तथा फरवरी 1997 के मध्य) 599.76 लाख रु0 के माल की बिक्री का शाखा आंतरण/पारेषण अनुमत करने के पश्चात् अन्तिम रुप दिया गया था। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा की जांच से पता चला कि व्यापारी ने किसी कर का भुगतान किए बिना स्थानीय व्यापारियों से माल की खरीद की थी। इन वर्षों के दौरान उनके द्वारा राज्य से बाहर अपनी शाखाओं को भेजे गए माल/पारेषण बिक्रियों का खरीद मूल्य 61.47 लाख रु0 बनता था। इसके कारण 2.46 लाख रु0 के क्रय कर का अपवंचन जिसका विवरण निम्नांकित है:-

जिले का नाम	व्यापारियों की संख्या	निर्धारण वर्ष	निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमत माल का (कर भुगतान के बिना स्थानीय खरीद) शाखा आंतरण/पारेषण बिक्रियां (लाख रुपए)	लाभ, माल-भाड़ा आदि के 10 प्रतिशत की कटौती पश्चात् निकाला गया आंतरित माल का खरीद मूल्य	उद्ग्राहय कर की राशि
सोलन	2	1990-91 तथा 1991-92	495.17	39.13	1.57
सिरमौर	1	1990-91 तथा 1991-92	104.59	22.34	0.89
जोड़	3		599.76	61.47	2.46

उपरोक्त मामले लेखापरीक्षा में विभाग को बताए गए थे (नवम्बर-दिसम्बर 1997) किन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

2.2.15 समापन भण्डार छिपाने के कारण कर का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार (अप्रैल 1978) निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि समापन भण्डार ठीक ढंग से लेखाबद्ध किया गया है। यदि व्यापारी अपनी बिक्रियां या खरीदें अथवा भण्डारों को छिपाने की दृष्टि से झूठे या गलत लेखे बनाता है तो उसे शास्ति के रुप में (निर्धारित किए गए कर के अतिरिक्त) वह राशि देनी होगी जो 25 प्रतिशत से कम न हो किन्तु निर्धारित किए गए कर अथवा निर्धारित किए जाने वाले कर की राशि के डेढ़ गुणा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करता तो उसे देय कर पर एक महीने के लिए एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से व्याज देना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला तथा सोलन जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि तीन व्यापारियों ने अपने 9.07 लाख रु० मूल्य के भण्डार छिपाए जिनका तदनुरुपी विक्रय मूल्य 10.98 लाख रु० बनता था। इसके परिणामस्वरुप 2 लाख रु० के कर का अपवंचन हुआ जिसका विवरण निम्नांकित है:-

जिले का नाम	व्यापारियों की संख्या	निर्धारण वर्ष	व्यापारी द्वारा छिपाया गया भण्डार	छिपाए गए भण्डार का विक्रय मूल्य*	न्यूनतम शास्ति तथा ब्याज सहित उद्ग्राहय कर राशि
			रुपए	रुपए	(लाख रुपए)
शिमला	1	1991-92	6,35,180	7,87,623	1.40
	1	1994-95	1,16,881	1,40,257	0.26
सोलन	1	1994-95	1,54,795	1,70,274	0.34
जोड़	3		9,06,856	10,98,154	2.00

इसे लेखापरीक्षा में बताए जाने पर विभाग ने शिमला जिले के वर्ष 1994-95 के एक मामले का पुनर्निर्धारण किया (दिसम्बर 1997) तथा 0.26 लाख रु० की अतिरिक्त मांग की गई। वसूली की सूचना तथा शेष मामलों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

उपर्युक्त टिप्पणियों को विभाग तथा सरकार को मई 1998 में सूचित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

* लाभ का 8 से 20 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् विक्रय मूल्य की गणना की गई।

2.3 शास्ति का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र वाला व्यापारी कर की रियायती दरों का हकदार है। तथापि, यदि वह प्रमाणपत्र में उल्लिखित अवधि के भीतर कारोबार नहीं करता अथवा उसमें निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके द्वारा की गई सभी खरीदों के सम्बन्ध में दिए जाने वाले कर की राशि के आधे के बराबर शास्ति का भुगतान करना होगा।

(i) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एक औद्योगिक इकाई जो कि माल्ट तथा माल्ट के उत्पादन एवं बिक्री के लिए स्थापित की गई थी के मालिक ने जनवरी 1991 तथा अगस्त 1992 के मध्य 27.44 लाख रु0 का माल "ग" प्रपत्र पर रियायती कर दर पर खरीदा था। इकाई पंजीयन के अस्थाई प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अवधि में अपना कारोबार स्थापित नहीं कर पाई जो कि 20 मई 1992 तक वैध था। अप्रैल 1993 में माल्ट का उत्पादन परीक्षण आधार पर शुरु किया गया था तथा जुलाई 1993 में 0.59 लाख रु0 मूल्य का माल्ट एक सोलन आधारित फर्म को बेचा गया था। तत्पश्चात् जुलाई 1993 में इकाई बंद हो गई थी। अस्थाई प्रमाणपत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि में व्यवसाय आरम्भ न कर पाने के कारण व्यापारी से 1.37 लाख रु0 की शास्ति उद्ग्राह्य थी, जिसका उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा में सूचित किए जाने (अगस्त 1997) पर विभाग ने मामले का पुनर्निर्धारण किया (जनवरी 1998) और 1.37 लाख रु0 की अतिरिक्त मांग की। वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

यह मामला मई 1998 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

(ii) जनवरी 1991 की अधिसूचना के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयां विक्रेता पंजीकृत व्यापारी को प्रपत्र "क" में घोषणा प्रस्तुत करने पर बिक्री कर के भुगतान के बिना सभी सामग्री के क्रय की हकदार हैं। प्रपत्र "क" के प्रति माल का क्रय इस शर्त पर किया जा सकता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा अपेक्षित माल बिक्री हेतु माल के विनिर्माणार्थ प्रयुक्ति के लिए है।

फरवरी 1992 में जारी एक अन्य अधिसूचना के माध्य से राज्य सरकार ने निश्चित शर्तें पूर्ण करने पर औद्योगिक इकाइयों को रियायती कर (11 दिसम्बर 1992 तक एक रुपए पर दो पैसे तथा तत्पश्चात् एक रुपए पर एक पैसा) पर कच्चे माल के क्रय की अनुमति दी। औद्योगिक इकाई द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के क्रय पर रियायती कर-दर की शर्त यह थी कि विनिर्मित माल हिमाचल प्रदेश राज्य या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में बेचा जाएगा।

घोषणा पत्र में दर्शाए गए प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनार्थ माल की प्रयुक्ति से व्यापारी उस राशि की शास्ति का भुगतान करेगा जो ऐसे माल की बिक्री पर उसे प्रयोज्य पूर्ण दर से कर राशि तथा ऐसी पूर्ण दर से कर-राशि के डेढ़ गुणा से कम के अन्तर से कम नहीं होगा।

सोलन व सिरमौर के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 1997 व जनवरी 1998) कि दो व्यापारियों के वर्ष 1991-92 व 1993-94 के कर-निर्धारणों को 130.12 लाख रु0 के माल के शाखान्तरण/प्रेषण बिक्री की अनुमति के पश्चात् अगस्त 1996 व मार्च 1997 में अन्तिम रुप दिया गया था। निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रदर्शित हुआ कि इन व्यापारियों ने प्रपत्र "क" (241.09 लाख रु0) के प्रति कर-भुगतान के बिना तथा प्रपत्र आर0एम0-I (20.56 लाख रु0) के प्रति रियायती कर-दर पर स्थानीय व्यापारियों से 261.65 लाख रु0 का माल खरीदा था। बिक्री से भिन्न माध्यम द्वारा राज्य से बाहर प्रेषित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की समानुपाती खरीददारियां 49.11 लाख रु0 बनती हैं। इन उपबन्धों के उल्लघंन हेतु कोई भी शास्ति नहीं लगायी गयी थी। व्यापारियों द्वारा करापंवचन हेतु अपनाए गए तरीके का पता लगाने में विभागीय विफलता के परिणामस्वरुप 3.83 लाख रु0 की शास्ति नहीं लगाई गई थी।

इसे विभाग को सूचित (नवम्बर 1997 तथा जनवरी 1998) किया गया तथा मई 1998 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

2.4 बिक्री कर की गलत छूट

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के भूसे, दालों तथा खली पर 8 प्रतिशत कर उद्ग्राहय है लेकिन प्रत्येक प्रकार (शुष्क या हरा) के चारे सहित पशु-आहार व गेहूं के चोकर पर कर की छूट है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो देय कर पर एक मास तक की अवधि के लिए एक प्रतिशत मासिक तथा तत्पश्चात् दोष जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत मासिक ब्याज उद्ग्राहय है।

(क) सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, कांगड़ा की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 1997 व नवम्बर 1997) कि चावल के व्यापार में लगे 2 व्यापारियों के कर-निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1991-92 व 1994-95 के मध्य 28.89 लाख रु0 के चावल के चोकर/भूसे की बिक्री की अनुमति उसे कर-मुक्त करके दी। इस गलत छूट के परिणामस्वरुप 2.31 लाख रु0 के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त 1.49 लाख रु0 का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

यह मामला विभाग को सूचित किया गया था (फरवरी 1997 व नवम्बर 1997) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 1997 व जनवरी 1998) था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

(ख) अक्तूबर 1990 से उत्पादन में लगी सोलन जिले की एक लघु औद्योगिक इकाई ने वर्ष 1991-92 की अपनी सकल बिक्री में 2.73 लाख रु0 की भूसे की बिक्री में बिक्री छूट शामिल की। भूसे की बिक्री आठ प्रतिशत की समान्य दर से करयोग्य थी। इसके फलस्वरुप 43,677 रु0 के कर की गलत छूट मिली जिसमें नवम्बर 1997 तक उद्ग्राहय 21,800 रु0 का ब्याज भी शामिल था।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया (अक्तूबर 1997) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 1998)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

2.5 गलत दरें लागू करने के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1991 से इमारती लकड़ी पर 30 प्रतिशत कर उद्ग्राहय है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो देय कर पर एक मास तक की अवधि के लिए एक प्रतिशत मासिक तथा तत्पश्चात् दोष जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत मासिक ब्याज उद्ग्राहय है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी की लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 1998) कि एक व्यापारी के वर्ष 1991-92 के कर निर्धारणों को उसकी 35.10 लाख रु0 की इमारती लकड़ी (वन समूह) की बिक्री को ध्यान में रखते हुए 30 प्रतिशत की सही दर की बजाय 27.5 प्रतिशत की दर से अन्तिम रुप दिया गया था (सितम्बर 1996)। इससे 1.79 लाख रु0 के (0.92 लाख रु0 के ब्याज सहित) के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया था (फरवरी 1998) व सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1998) था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

2.6 बिक्री कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अनुसार माल (घोषित माल को छोड़कर) की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 10 प्रतिशत या राज्य बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री या क्रय पर लागू दरों में से जो भी अधिक हो उस दर पर कर उद्ग्राहय है।

(क) सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त, सोलन की लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 1997) कि स्व-प्रेरक अनुषंगी उत्पादों के विनिर्माण व बिक्री में लगे एक व्यापारी ने 1991-92 व 1992-93 वर्षों में क्रमशः 82.74 लाख रु0 व 83.40 लाख रु0 ("ग" प्रपत्रों को प्रस्तुत किए बिना) की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां कीं। निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय (मई 1996 व नवम्बर 1996) हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 के

अन्तर्गत राज्य के भीतर ऐसी बिक्रियों पर उद्ग्राहय 11 प्रतिशत कर के बजाय 10 प्रतिशत कर उद्गृहीत किया। इससे 1.66 लाख रु0 के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया था (नवमबर 1997) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1998) था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

(ख) सोलन एवं कांगड़ा के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी 1996 व नवम्बर 1997) कि 1990-91 से 1993-94 वर्षों में चमड़े के बोर्डों (6.70 लाख रु0), भारत में निर्मित विदेशी शराब (6.93 लाख रु0) तथा इलैक्ट्रॉनिक्स सामग्री (3.83 लाख रु0) के उत्पादन व बिक्री में लगे तीन व्यापारियों ने "ग" प्रपत्र प्रस्तुत किए बिना इनकी अन्तर्राज्यीय बिक्री की। निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 1992 व अगस्त 1996 के मध्य कर निर्धारणों को अन्तिम रुप देते समय चमड़े के बोर्डों व भारत में बनी विदेशी शराब पर हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर के अन्तर्गत राज्य के अन्दर ऐसी बिक्रियों पर यथोद्ग्राहय 10 प्रतिशत व 15 प्रतिशत कर की बजाय क्रमशः 4 प्रतिशत व 10 प्रतिशत कर लगाया। 3.83 लाख रु0 की इलैक्ट्रॉनिक्स सामग्री की बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया गया जबकि राज्य के कानूनों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्राहय है। इसके परिणामस्वरुप 1.13 लाख रु0 के कर का अनुद्ग्रहण व अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह सूचित किए जाने (जनवरी 1996 व नवम्बर 1997) पर विभाग ने सूचित किया (जून 1998) कि कांगड़ा जिले के सम्बन्ध में पुनर्निर्धारण पर व्यापारी ने 34,630 की अतिरिक्त मांग की राशि जमा करवा दी थी तथा सोलन जिले से सम्बद्ध मामलों में कार्रवाई की जा रही थी। आगामी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई (जून 1998)।

उपर्युक्त मामले फरवरी 1996 व जनवरी 1998 में सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे। उसके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

तीसरा अध्याय

राज्य आबकारी

तीसरा अध्यायः राज्य आबकारी

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1	45
स्पिरिट का कम उत्पादन	3.2	45
पुनरासवन हानियां	3.3	46
परमिट शुल्क का अनुद्ग्रहण	3.4	47

तीसरा अध्याय

राज्य आबकारी

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 में की गई लेखापरीक्षा में राज्य आबकारी से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच से 17 मामलों में 58.29 लाख रु0 के राजस्व वाले शुल्क के अनुद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आती हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	यवरस/सीरे से स्पिरिट का कम उत्पादन	1	20.55
2.	पुनरासवन में हुई स्पिरिट हानि पर शुल्क का अनुद्ग्रहण	3	14.11
3.	अन्य अनियमितताएं	13	23.63
	जोड़	17	58.29

वर्ष 1997-98 में सम्बद्ध विभाग ने 5 मामलों में 1.51 लाख रु0 के वे अवनिर्धारण आदि स्वीकार कर लिए जिन्हें विगत वर्षों की लेखापरीक्षा में सूचित किया गया था। इनमें सबसे पूर्ववर्ती वर्ष 1996-97 था। 28.39 लाख रु0 के वित्तीय प्रभायुक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कुछ मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

3.2 स्पिरिट का कम उत्पादन

(क) हिमाचल प्रदेश को यथाप्रयोज्य पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार 100 लीटर सीरे के घोल से 12 प्रूफ लीटर स्पिरिट का उत्पादन होना चाहिए। नियमों में पुनः यह व्यवस्था है कि 454.6 लीटर घोल तैयार करने हेतु 1.49 क्विंटल सीरा अपेक्षित है। इस प्रकार प्रति क्विंटल सीरे से 36.61 प्रूफ लीटर स्पिरिट बनती है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 1997) कि ऊना जिले की एक आसवनी ने पंजाब आसवनी नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुसार 29,18,329.5 प्रूफ लीटर स्पिरिट के प्रत्याशित उत्पादन के प्रति 1996-97 वर्ष में 79,714.00 क्विंटल सीरे से 27,96,634.2 प्रूफ लीटर स्पिरिट बनाई। 1,21,695.3 प्रूफ लीटर स्पिरिट की गिरावट ने सरकार को 20.69 लाख रु0 के आबकारी शुल्क से वंचित रखा जो मानक लब्धि पर प्रोद्भूत हो गया होता।

इसे विभाग को सूचित (अगस्त 1997) तथा सितम्बर 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

(ख) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (हिमाचल प्रदेश को यथाप्रयोज्य) के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की गई एक सरकारी अधिसूचना (जून 1979) तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार 19 कि० ग्रा० यवरस से 8.200 प्रूफ लीटर व्हिस्की का उत्पादन प्रत्याशित है लेकिन निर्धारित मानकों से कम उत्पादन पाए जाने पर अधिनियम/नियमों में गिरावट पर शुल्क या शास्ति के उद्ग्रहणार्थ कोई प्रावधान नहीं है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 1997) कि वर्ष 1995-96 में स्पिरिट विनिर्मित करने वाली एक इकाई ने 7,11,654 कि०ग्रा० यवरस से प्रत्याशित 3,07,134 प्रूफ लीटर स्पिरिट उत्पादन के प्रति 3,06,104 प्रूफ लीटर स्पिरिट का उत्पादन किया जिससे 1,030 प्रूफ लीटर स्पिरिट का कम उत्पादन हुआ। यदि विहित मान लब्ध: प्रवर्तित किए गए होते तो सरकार ने आबकारी शुल्क के माध्यम से 30,900 रु० का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया होता।

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को मार्च 1997 में सूचित किया गया था तथा अप्रैल 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

3.3 पुनरासवन हानियां

हिमाचल प्रदेश को यथाप्रयोज्य तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 में स्पिरिट की पुनरासवन प्रक्रिया में क्षयार्थ मानकों की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपील* के एक मामले में आबकारी एवं कराधान आयुक्त व वित्तायुक्त (आबकारी) ने निर्णय दिया (अक्तूबर 1995) कि पुनरासवन प्रक्रिया के दौरान स्पिरिट की हानि पर आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण किया जाएगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना की लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 1997) कि एक मद्यनिर्माणशाला में वर्ष 1996-97 के दौरान पुनरासवन प्रक्रिया में 27,625.6 प्रूफ लीटर देशी स्पिरिट नष्ट हुई जबकि नियमों के अन्तर्गत इस प्रक्रिया में कोई क्षय अनुमत्य नहीं था और इस मात्रा पर भी आबकारी शुल्क उद्ग्राह्य था। इस प्रकार वित्तायुक्त (आबकारी) के निर्णय (अक्तूबर 1995) की दृष्टि से विभाग ने 4.70 लाख रु० के आबकारी शुल्क न लगाने में गलती की था।

---

* मैसर्स हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, देशी शराब बोतलीकरण संयन्त्र, मेहतपुर जिला ऊना

बनाम

समाहर्ता (आबकारी) एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिणी अंचल) पालमपुर, जिला कांगड़ा

इसे लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया (अगस्त 1997) और सितम्बर 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

3.4 परमिट शुल्क का अनुद्ग्रहण

वर्ष 1996-97 की आबकारी घोषण (मद संख्या 31) के अनुसार शराब के आयात व परिवहन हेतु परमिट देते समय भारत में बनी विदेशी स्पिरिट तथा देशी शराब पर क्रमशः 2 रु0 तथा 1 रु0 प्रति प्रूफ लीटर की दर से परमिट शुल्क भुगतानयोग्य है।

हमीरपुर, मण्डी, शिमला व सोलन जिलों के सहायक आबकारी व कराधान आयुक्तों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (जुलाई 1997 व जनवरी 1998 के मध्य) कि 1,33,792.24 प्रूफ लीटर (हमीरपुरः 14,191.47 प्रूफ लीटर; मण्डीः 43,907.70 प्रूफ लीटर, सोलनः 38,709.49 प्रूफ लीटर व शिमलाः 36,983.58 प्रूफ लीटर) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट तथा शिमला जिले में 1,868.500 प्रूफ लीटर देशी शराब के परिवहनार्थ वर्ष 1996-97 में जारी आबकारी परमिटों के मामले में विभाग ने परमिट जारी करते समय 11 लाइसेंसधारकों से 2.69 लाख रु0 का परमिट शुल्क प्रभारित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने (जुलाई 1997 व जनवरी 1998 के मध्य) पर विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 1997, मार्च 1998 तथा जून 1998) कि 11 लाइसेंसधारकों से प्राप्य 2.69 लाख रु0 में से 1.41 लाख रु0 6 लाइसेंसधारकों ने जमा करवा लिए थे। वसूली प्रतिवेदन तथा शेष मामलों से सम्बद्ध उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (जून 1998)।

उपर्युक्त मामले अगस्त 1997 व जनवरी 1998 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 1998)।

चौथा अध्याय

वाहन, माल तथा यात्री कर

चौथा अध्याय: वाहन, माल व यात्री कर

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	4.1	53
सांकेतिक कर की वसूली न होना	4.2	53
एकमुश्त सांकेतिक कर की अल्प वसूली	4.3	54
अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	4.4	55
आबकारी व कराधान विभाग के पास पंजीकृत न करवाए गए वाहन	4.5	55

चौथा अध्याय

वाहन, माल व यात्री कर

4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 में की गई लेखापरीक्षा में विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 94 मामलों में 90.49 लाख रु0 के कर की वसूली न होने या अल्प वसूली होने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आती हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	(i) सांकेतिक कर	41	26.82
	(ii) यात्री व माल कर की वसूली न होना या अल्प वसूली होना	14	28.19
2.	(i) सांकेतिक कर	6	5.96
	(ii) यात्री व माल कर का अपवंचन	9	17.45
3.	अन्य अनियमितताएं		
	(i) वाहन कर	19	19.18
	(ii) यात्री व माल कर	5	2.89
	जोड़	94	90.49

वर्ष 1997-98 में सम्बद्ध विभागों ने 63 मामलों में 24.93 लाख रु0 के वे अवनिर्धारण आदि स्वीकार कर लिए जिन्हें विगत वर्षों में सूचित किया गया था। इनमें सबसे पूर्ववर्ती वर्ष 1972-73 था। 17.10 लाख रु0 के वित्तीय प्रभावयुक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कुछ मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों में दिए गए हैं।

4.2 सांकेतिक कर की वसूली न होना

सांकेतिक कर की समय पर व नियमित वसूली पर निगाह रखने के उद्देश्य से सभी कराधान प्राधिकारियों से सांकेतिक कर रजिस्टर अनुरक्षित करने की अपेक्षा है जिसमें वाहन के सभी ब्यौरे दर्ज किए जाते हैं। जब हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त या प्रयोगार्थ रखे गए किसी मोटर वाहन का पंजीकृत मालिक इस कर के भुगतान न करने का दोषी है तो कराधान प्राधिकारी कर की बकाया पड़ी राशि के अतिरिक्त ऐसे वाहन के लिए भुगतानयोग्य वार्षिक कर या दायी कर राशि के दुगुने में से जो भी राशि अधिक होगी उसे शास्तिस्वरुप उद्गृहीत कर सकता है।

पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी, बिलासपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 1997) कि मई 1995 व अक्तूबर 1996 की अवधि के मध्य पंजीकृत 50 वाहनों को सांकेतिक कर रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इन वाहन के मालिकों ने केवल पंजीकरण के समय ही सांकेतिक कर का भुगतान किया था। तत्पश्चात् न तो ये वाहन मालिक कर का भुगतान करने आए और न ही कराधान प्राधिकारी ने वसूली करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई की क्योंकि सांकेतिक कर रजिस्टर में ये वाहन दर्ज नहीं थे। देय कर के नियमित व समय पर भुगतान पर निगाह रखने के लिए विहित सांकेतिक कर रजिस्टर में प्रविष्टियां करने में पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की विफलता के फलस्वरुप 1995-96 व 1996-97 वर्षों में 1.59 लाख रु0 के कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त 3.18 लाख रु0 की अधिकतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने (जुलाई 1997) पर विभाग ने बताया कि कर की वसूली हेतु कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

यह मामला सितम्बर 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

4.3 एकमुश्त सांकेतिक कर की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4(1) में व्यवस्था है कि हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अन्तर्गत उद्गृहीत कर का विहित तरीके से अग्रिम भुगतान किया जाएगा। यात्री वाहनों को छोड़कर मोटर वाहनों के लिए सांकेतिक कर का भुगतान वार्षिक रुप से प्रत्येक वर्ष अप्रैल की अन्तिम तिथि तक किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी अप्रैल 1992 की एक अधिसूचनानुसार हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त या प्रयोगार्थ रखे गए सभी मोटर वाहनों (अधिनियम में संलग्न अनुसूची-II में यथोक्त) के सांकेतिक कर की एकमुश्त राशि दस वर्ष की अवधि के लिए उद्गृहीत व संगृहीत की जानी अपेक्षित थी। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 1992 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की एकमुश्त सांकेतिक कर राशि उस वाहन के पंजीकरण की आरम्भिक तिथि से अप्रैल 1992 में उसकी उम्र के अनुसार संगणित की जानी थी।

पालमपुर, परवाणू तथा सुन्दरनगर के पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों के कार्यालयों में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला (मई 1993 व मई 1996 के मध्य) कि वर्ष 1987 से 1993 के मध्य पंजीकृत 199 वाहनों का सांकेतिक कर पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविहित एकमुश्त आधार की बजाय वार्षिक रुप से वसूल किया गया। अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन न करने से विभाग 1.01 लाख रु0 के राजस्व की समय पर वसूली से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने (मई 1993 व मई 1996 के मध्य) पर विभाग ने 4752 रु0 (सुन्दरनगर: 2640 रु0 तथा पालमपुर: 2112 रु0) की वसूली कर ली। 96,320

रु0 की शेष राशि की वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

ये मामले वर्ष 1993 से सितम्बर 1996 के मध्य सरकार के ध्यान में लाए गए थे। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

4.4 अतिरिक्त माल कर का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 में हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1996 द्वारा एक नया प्रवर्ग 3-ख समाविष्ट किया गया जो 01-10-1996 से प्रभावी था तथा जिसे बाद में 7 जनवरी 1997 को जारी अधिसूचना द्वारा विखण्डित किया गया परन्तु फिर पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 अक्तूबर 1996 से प्रभावी बना दिया गया। इस अध्यादेश/अधिसूचना के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रवर्ग 3 के अन्तर्गत उद्ग्राहय कर के अतिरिक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल के परिवहनार्थ राज्य के अन्दर सड़क द्वारा तय किए गए/तय किए जाने वाले डेढ़ सौ किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए उसके स्तम्भ (3) में प्रदत्त दरों से अतिरिक्त कर उद्गृहीत किया जाना था। नए समाविष्ट प्रवर्ग में संलग्न अनुसूची के अनुसार चूना पत्थर, सीमेण्ट व पकी हुई ईंट के परिवहनार्थ प्रभार्य अतिरिक्त माल कर की दरें निम्नवत् हैं:-

(क) चूना पत्थर	(i) 1-10-1996 से 31-12-1996 तक:	7 रु0 प्रति टन
	(ii) 01-01-1997 से:	25 रु0 प्रति टन
(ख) सीमेण्ट व क्लींकर :		60 रु0 प्रति टन

दाड़लाघाट व राजबन के बहु-उद्देश्यीय बैरियरों में अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच (मई-जून 1997) से पता चला कि इन बैरियरों के माध्यम से ढोए गए चूना पत्थर, सीमेण्ट व क्लींकर पर 1 अक्तूबर 1996 से 3 अक्तूबर 1996 तक अतिरिक्त माल कर वसूल नहीं किया गया था जिससे 6.58 लाख रु0 के राजस्व की हानि हुई। राजबन व गोविन्दघाट बैरियरों के अभिलेखों से प्रदर्शित हुआ (मई 1997) कि 1 जनवरी 1997 से 11 जनवरी 1997 के मध्य ढोए गए चूना पत्थर पर 25 रु0 प्रति टन की दर से प्राप्य अतिरिक्त माल कर को 7 रु0 प्रति टन की न्यून दर से वसूल किया गया था। इससे 3.11 लाख रु0 के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

यह मामला लेखापरीक्षा में विभाग को सूचित किया गया था (मई-जून 1997) तथा जून व जुलाई 1997 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

4.5 आबकारी व कराधान विभाग के पास पंजीकृत न करवाए गए वाहन

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सभी मोटर वाहन मालिकों से अपेक्षित है कि वे सम्बद्ध पंजीयन

एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अपने वाहन पंजीकृत करवाएं और मोटर वाहन कर का भुगतान करें। स्टेज/संविदा वाहनों तथा माल वाहनों के स्वामियों से भी यह अपेक्षित है कि वे भी हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अनुसार सम्बद्ध आबकारी व कराधान अधिकारियों के पास अपने वाहन पंजीकृत करवाएं और मोटर वाहनों से ले जाएगए यात्रियों व ढोए गए माल के किराए व भाड़े पर निर्धारित दरों से यात्री एवं माल कर का भुगतान करें। पंजीकरणार्थ आवेदन करने में विफल रहने पर शास्ति भी उद्ग्राहय है जो कम से कम पांच सौ रुपए की शर्त पर इस प्रकार निर्धारित कर या अधिभार राशि के पांच गुने से अधिक नहीं होगी। मोटर वाहन कर परिवहन विभाग प्रशासित करता है जबकि यात्री एवं माल कर आबकारी व कराधान विभाग प्रशासित करता है। विभागीय अनुदेशों (दिसम्बर 1984) के अनुसार आबकारी व कराधान अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे परिवहन विभाग में पंजीयन व अनुज्ञापन प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत यात्री एवं माल कर भुगतान के दायी सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा व कुल्लू जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच से पाया गया (नवम्बर 1992 व दिसम्बर 1997 के मध्य) कि शिमला (शहरी), देहरा, पालमपुर, नूरपुर, धर्मशाला, कुल्लू व हमीरपुर के पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों के पास पंजीकृत 93 माल वाहनों का मई 1991 तथा मार्च 1997 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिए प्रयोज्य एकमुश्त* दरों पर संगणित 1.16 लाख रु0 के माल कर का भुगतान इन वाहनों के मालिकों द्वारा सम्बद्ध कराधान प्राधिकारियों को नहीं किया गया था क्योंकि ये वाहन हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आबकारी व कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं थे। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पंजीकरणार्थ आवेदन करने में विफल रहने के लिए 46,500 रु0 की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राहय थी।

लेखापरीक्षा में यह सूचित करने पर विभाग ने 13,750 रु0 (शिमला: 3,750 रु0; हमीरपुर: 10,000 रु0) की वसूली कर ली थी। कांगड़ा जिले के वाहन मालिकों से वसूली हेतु नोटिस जारी किए हुए बताए गए। वसूली प्रतिवेदन तथा कुल्लू जिले से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

ये मामले फरवरी 1993 तथा मार्च 1998 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

---

* इस परिच्छेद में वर्णित वित्तीय प्रभाव मात्र उदाहरणस्वरुप है तथा एकमुश्त कर पर आधारित है क्योंकि वास्तविक संग्रहण से सम्बद्ध सूचना के अभाव में वास्तविक कर संगणित नहीं किया जा सका। वास्तविक आधार पर गणना करने पर ये आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं।

पांचवां अध्याय

वन प्राप्तियां

पांचवां अध्यायः वन प्राप्तियां

	परिच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा परिणाम	5.1	61
वन अपराध	5.2	61
चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों पर रॉयल्टी का गलत निर्धारण	5.3	71
रॉयल्टी की अल्प वसूली होना/वसूली न होना	5.4	73
ब्याज व शास्ति का अनुद्ग्रहण	5.5	75
बिक्री कर की अल्प वसूली	5.6	77
इमारती लकड़ी के कम रुपान्तरण के कारण राजस्व की अल्प वसूली	5.7	78
वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.8	79
उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.9	80
गलत दरें लगाने से रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.10	81
वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली	5.11	82
समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण	5.12	84
वृक्षों का निपटान न करना	5.13	85

पांचवां अध्याय

वन प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 में की गई लेखापरीक्षा में वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच से 160 मामलों में 1,175.19 लाख रु0 के राजस्व की वसूलियां न होने, अल्प वसूलियां होने तथा अन्य हानियों का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आती हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	रॉयल्टी की वसूली न होना	10	64.01
2.	रॉयल्टी की अल्पवसूली	17	198.25
3.	समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण	18	40.02
4.	ब्याज अनुद्ग्रहण	25	217.55
5.	अन्य अनियमितताएं	90	655.36
	जोड़	160	1175.19

वर्ष 1997-98 में सम्बद्ध विभाग ने 109 मामलों में 519.59 लाख रु0 के अवनिर्धारण आदि स्वीकार कर लिए जिन्हें विगत वर्षों में सूचित किया गया था। इनमें सबसे पूर्ववर्ती वर्ष 1970-71 था। लेखापरीक्षा द्वारा "वन अपराध" पर की गई समीक्षा के परिणाम तथा 1798.28 लाख रु0 के वित्तीय प्रभावयुक्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उजागर करने वाले कुछ मामले सोदाहरण निम्नांकित परिच्छेदों मे दिए गए हैं:-

5.2 वन अपराध

5.2.1 प्रस्तावना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में किसी प्ररक्षित वन में असावधानी से या जानबूझकर किसी वृक्ष के कटान, परितक्षण, शाखकर्तन, निःस्राव या दहन, उस वृक्ष की छाल या पत्ती निकालने या कृषि अथवा अन्य प्रयोजनार्थ भूमि साफ करने या पशु चराने से उत्पन्न क्षति को वन अपराधों की संज्ञा दी गई है। उपर्युक्त कोई भी अपराध छः महीने तक के कारावास या पांच सौ

रुपए तक के जुर्माने या दोनों सहित दण्डनीय अपराध हैं या इन्हें अपराध की प्रकृति व गम्भीरता/उत्पाद के मूल्य/अपराधी के इरादे को ध्यान में रखते हुए वन मण्डल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति सहित प्रचलित बाजार दरों से वनोत्पाद की लागत की वसूली करने के पश्चात् संयोजित किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति की दरें निर्धारित करने के लिए कोई विशेष मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। इन अपराधों को रोकने तथा वनों से प्राप्त राजस्व की सुरक्षा के लिए स्थापित क्रिया विधि की प्रभावोत्पादकता का जायजा लेने के लिए लेखापरीक्षा में समीक्षा की गयी थी।

5.2.2 राजस्व की प्रवृत्ति

मार्च 1997 में समाप्त पांच वर्षों के दौरान संगृहीत कुल वन राजस्व निम्नवत् था:-

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक राजस्व	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)
	(क रो ड़	रु प	ए)
1992-93	28.00	23.43	(-) 4.57
1993-94	26.00	65.36	(+) 39.36
1994-95	26.00	47.11	(+)21.11
1995-96	26.00	44.94	(+)18.94
1996-97	27.00	41.19	(+)14.19

5.2.3 वनाच्छादन निर्धारण

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 पारिस्थितिक संतुलन तथा पर्यावरण स्थायित्व अनुरक्षित करने में वनों के सुरक्षात्मक कार्यों पर बल देती है और इसका उद्देश्य राष्ट्र के कम से कम एक तिहाई भौगोलिक क्षेत्र को वनाच्छादन या वृक्षाच्छादन में लाना है। इस नीति में भूमि कटाव तथा जमीन को पथरीली होने से बचाने तथा नाजुक पारिस्थितिक पद्धति के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ों में दो तिहाई क्षेत्र को वनाच्छादन के अन्तर्गत लाना व्यादिष्ट है।

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह आंकड़ों के आधार पर भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण मंत्रालय) द्वारा अपने वन स्थिति प्रतिवेदन में यथाप्रकाशित 1993 व

1997 वर्षों के जिलाबद्ध वनाच्छादन निर्धारण निम्नांकित थे:-

जिले का नाम	भौगोलिक क्षेत्र	वनाच्छादन 1993	वनाच्छादन 1997	आधिक्य(+) कमी (-)	भौगोलिक क्षेत्र पर वनाच्छादन की प्रतिशतता
बिलासपुर	1,167	157	158	+1	13.54
चम्बा	6,528	2,124	2,061	-63	31.57
हमीरपुर	1,118	213	223	+10	19.95
कांगड़ा	5,739	1,755	1,744	-11	30.39
किन्नौर	6,401	629	632	+3	9.87
कुल्लू	5,503	2,044	2,044	-	37.14
लाहौल-स्पिति	13,835	19	83	+64	0.60
मण्डी	3,950	1,309	1,315	+6	33.29
शिमला	5,131	2,425	2,425	-	47.26
सिरमौर	2,825	1,019	1,024	+5	36.25
सोलन	1,936	418	422	+4	21.80
ऊना	1,540	390	390	-	25.32
जोड़	55,673	12,502	12,521		22.49

उपर्युक्त आंकड़े इस तथ्य के सूचक हैं कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वनाच्छादन 22.5 प्रतिशत था जो कि राष्ट्रीय वन नीति के 66 प्रतिशत लक्ष्य से अतीव कम था जबकि राज्य सरकार ने सहायता अनुदान सहित राज्य क्षेत्र वानिकी व भू-संरक्षण के अन्तर्गत 520.72 करोड़ रु0 का व्यय करने के पश्चात् वर्ष 1951 से 1992-93 तक 6,53,764 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का पौधारोपण किया था।

उपर्युक्त आंकड़ों से पुनः यह अवलोकित होगा कि दो जिलों में वनाच्छादन वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1997 में 74 वर्ग किलोमीटर घट गया था जबकि इसी अवधि में राज्य का समग्र वनाच्छादन 19 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया था।

5.2.4 संगठनात्मक ढांचा

वन विभाग का मुखिया प्रमुख मुख्य अरण्यपाल है जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त प्रमुख मुख्य अरण्यपाल तथा आयोजना एवं विकास, संरक्षण, परियोजना, कार्यचालन योजना और बन्दोबस्त व वन्य प्राणी में से प्रत्येक के लिए एक मुख्य अरण्यपाल सहित पांच मुख्य अरण्यपाल हैं। राज्य में 16 परिमण्डल तथा 53 वन मण्डल है जिनके मुखिया क्रमशः अरण्यपाल तथा उप अरण्यपाल (वन मण्डल अधिकारी के रुप में भी पदनामित) हैं।

5.2.5 लेखापरीक्षा की परिधि

लेखापरीक्षा में यह देखने के लिए 38 प्रादेशिक वन मण्डलों में से 19 वन मण्डलों के 1992-93 से 1996-97 वर्षों से सम्बद्ध अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी (जून 1997 से जनवरी 1998) कि:-

(i) विभाग ने वन अपराध के मामलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में निहित उपबन्धों तथा समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों के अनुरुप क्षति प्रतिवेदन तैयार करने तथा उनके निपटान हेतु निर्धारित क्रियाविधि अपनाई है तथा

(ii) समपहृत लकड़ी/वनोत्पाद को प्रपत्र 17 में समुचित रुप से लेखाबद्ध करके समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों के अनुसार निपटाया गया है।

नमूना-जांच के परिणाम उत्तरवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं।

5.2.6 मुख्य बातें

(i) 10 वन मण्डलों में वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के मध्य 123.19 लाख रु0 के मूल्य के 3099 वृक्षों के अवैध गिरान तथा 562 नगों के अभिग्रहण से सम्बद्ध 98 प्रकरणों में क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कोई क्षति प्रतिवेदन तैयार/जारी नहीं किए गए थे।

[परिच्छेद 5.2.7(क)]

(ii) 15 वन मण्डलों में 80.58 लाख रु0 के 3056 अपराध प्रकरण समाधान करने अथवा अवधि सीमा के बीच न्यायालय में भेजने में विभाग की विफलता के कारण कालातीत हो गए।

[परिच्छेद 5.2.7(ग)]

(iii) 7 वन मण्डलों में 21 प्रकरणों में सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मी अपराधियों से 50.07 लाख रु0 की इमारती लकड़ी को अभिग्रहण करने में विफल रहे।

[परिच्छेद 5.2.8(क)]

(iv) राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत वन मण्डल अधिकारी ने प्रकरणों को पुलिस में पंजीकृत करने की बजाय अपनी सक्षमता से बाहर 12.37 लाख रु0 मूल्य के 357 वृक्षों के अवैध गिरान के 2 प्रकरणों का समाधान किया।

(परिच्छेद 5.2.9)

(v) 16 मण्डलों में अपराधकर्ताओं द्वारा वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के दौरान 1884 प्रकरणों में 1831 वृक्षों से अन्तः ग्रस्त 387.308 हैक्टेयर वन भूमि पर अनुचित अधिकार

जमा लिया गया था तथा प्रकरण या तो न्यायालय में निर्णयार्थ अथवा विभाग के पास प्रक्रियाधीन लम्बित पड़े थे जिसके परिणामस्वरुप 234.21 लाख रु0 का राजस्व अवरुद्ध हुआ जो वृक्षों का मूल्य था जबकि अनुचित अधिकृत भूमि की प्रतिपूर्ति निर्धारित नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 5.2.12)

5.2.7 (क) क्षति प्रतिवेदनों का तैयार/जारी न करना

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए (अप्रैल 1951) अनुदेशानुसार वन अपराध परिज्ञान हेतु क्षेत्रीय वन रक्षक को कृतापराध के लिए तुरन्त क्षति प्रतिवेदन तैयार/जारी किया जाना अपेक्षित होता है तथा क्षति को अपराधकर्ता से स्वीकार करना होता है। जिन मामलों में अपराधकर्ता अपराध के स्थल से बच निकलता है उनमें एक प्रतिवेदन का तुरन्त तैयार किया जाना तथा उस पर समीपतम लम्बरदार अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएं जाने अपेक्षित होते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 10 वन मण्डलों* में कानिफर्स तथा चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों 3099 वृक्षों के अवैध पातन के 98 प्रकरणों तथा 123.19 लाख रु0 (बाजार दर से) के मूल्य की अभिगृहीत इमारती लकड़ी के 562 नगों** के सम्बन्ध में विभाग ने वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के दौरान कोई क्षति प्रतिवेदन तैयार/जारी नहीं किए थे। इन प्रकरणों का अन्वेषण या तो राज्य के प्रवर्तन संभाग द्वारा या विभाग के उड़न दस्ते द्वारा किया गया था।

लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से सम्बद्ध मामला सरकार के साथ मार्च 1998 में उठाया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

5.2.7 (ख) क्षति प्रतिवेदनों के निर्गम में विलम्ब

सरकार के (अप्रैल 1951) के अनुदेशानुसार प्रत्येक समीपतम वन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह वन अपराध का तत्काल परिज्ञान करें। अपराधकर्ता की गिरफ्तारी की जानी होती है तथा अपराध में प्रयुक्त उपकरण तथा निवारण किए जाने वाला उद्दिष्ट वनोत्पाद का अभिग्रहण किया जाना चाहिए। कृतापराध के पूर्ण विवरण देते हुए इस आशय का प्रतिवेदन क्षति प्रतिवेदन पुस्तक में तत्काल दर्ज किया जाना होता है।

---

* चम्बा, चौपाल, जुब्बल, कोटगढ़, निचार, नूरपुर, पार्वती, रेणुका, रोहड़ू तथा ठियोग

** नग का अभिप्राय इमारती लकड़ी की एक इकाई से है।

*

4 वन मण्डलों में यह पाया गया कि 9.43 लाख रु0 के मूल्य वाले वन अपराध के 6 प्रकरणों में क्षेत्रीय कर्मी उन अपराधों को तब तक ध्यान में नहीं ला सके जब तक कि वे जनता/उड़न दस्ते द्वारा उनके ध्यान में लाए गए तथा उसके परिणामस्वरुप सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा इन कृतापराधों के पश्चात् क्षति प्रतिवेदनों के बनाने/जारी करने में अर्ध मास से 27 मासों तक का विलम्ब हुआ।

5.2.7 (ग) कालातीत होने वाले प्रकरणों के कारण राजस्व हानि

वन अपराध प्रकरण या तो समाधान किए जाने अथवा एक वर्ष के भीतर न्यायालय में चालान किए जाने अपेक्षित है क्योंकि कोई भी न्यायालय अपराधी क्रियाविधि संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्रकरणों पर विचार नहीं कर सकता। विभाग ने सभी वन मण्डल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (फरवरी 1985) कि कोई भी प्रकरण चालानकरने हेतु तथा वन अपराध प्रकरणों के निपटानार्थ शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कालातीत न हो क्योंकि कार्रवाई करने में विलम्ब न केवल न्यायालय से अपराध मुक्ति में परिणत होता है अपितु अपराधों का समाधान भी कठिन होता है और अपराधकर्ता विलम्ब के कारण बच जाते हैं।

बकाया वन अपराध प्रकरणों को समायोजन/निपटान की प्रगति वृत्त स्तर पर उसके नियंत्रणाधीन प्रत्येक वन अधिकारी द्वारा प्रेषित मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर देखी जाती है।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 15** वन मण्डलों में नमूना जांच किए गए 52,328 अपराध प्रकाणों में से 3056 प्रकरण वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक के दौरान कालातीत हो गए क्योंकि विभाग निर्धारित अवधि के भीतर उन प्रकरणों का समाधान करने अथवा उनको न्यायालय में ले जाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरुप न केवल अपराधकर्ता बच निकले अपितु 80.58 लाख रु0 (उत्पाद मूल्य तथा विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि) की राजस्व-हानि भी हुई।

मामला ऐसी विफलताओं के लिए की गई कार्रवाई के बारे में छानबीन करने के लिए विभाग को प्रतिवेदित (अप्रैल 1998) किया गया था। भावी प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

---

* चुराह, कोटगढ, नाचन तथा सुन्दरनगर

** चम्बा, चौपाल, चुराह, जुब्बल, करसोग, कोटगढ़, नाचन, नूरपुर, पार्बती, पांवटा साहब, राजगढ़, रेणुका, रोहड़ू, सिराज तथा ठियोग

5.2.8 समय पर अपराधों का पता लगाने में विफलता

अभिगृहीत इमारती लकड़ी/वनोत्पाद या तो सपुर्दार (लम्बरदार अथवा स्थान का कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति) की सपुर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में अथवा उसकों फार्म 17 (अभिगृहीत इमारती लकड़ी का रजिस्टर) में लेखाबद्ध करने के पश्चात् सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मी के पास रखा जाना चाहिए। फार्म 17 में लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वनोत्पाद का निपटान या तो वन अपराध के समाधान होने अथवा न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् अपेक्षित होता है। जहां न्यायालय की कार्यवाहियों के दीर्घकाल तक चलने की सम्भावना हो, वहां इमारती लकड़ी/वनोत्पाद को ह्रास से बचाने हेतु न्यायालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् नीलाम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1951 के सरकारी अनुदेश किसी वन अपराध का पता न लगाने अथवा उसके होने के पर्याप्त पश्चात् उसका परिज्ञान करने को सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मियों की विफलता के तुल्य मानते हैं।

(क) 7 वन मण्डलों* में लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 21 प्रकरणों में इमारती लकड़ी के 757.645 घनमीटर के स्थायी आयतन वाले 718 वृक्ष अपराधकर्ताओं द्वारा 1992-93 तथा 1996-97 के दौरान अवैध रुप से गिराए गए थे। सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मी अपराधकर्ताओं से कोई भी इमारती लकड़ी अभिग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरुप 50.07 लाख रु० की इमारती लकड़ी अभिगृहीत नहीं हुई।

(ख) लेखापरीक्षा में 8 वन मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना जांच से यह उद्घाटित हुआ कि 12 प्रकरणों में इमारती लकड़ी के 298.741 घनमीटर के स्थायी आयतन वाले 210 वृक्ष अपराधकर्ताओं द्वारा 1993-94 तथा 1995-96 की अवधि के दौरान अवैध रुप से गिराए गए थे। इनमें से क्षेत्रीय कर्मी 118.801 घनमीटर इमारती लकड़ी अभिग्रहण कर सके। 179.94 घनमीटर स्थायी आयतन की इमारती लकड़ी के अल्प अभिग्रहण के परिणामस्वरुप 11.13 लाख रु० (बाजार दर पर संगणित) की राजस्व हानि हुई।

(ग) लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जुब्बल तथा नूरपुर मण्डलों में वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 के भीतर अपराधकर्ताओं से अभिगृहीत 5.181 घनमीटर इमारती लकड़ी, अखरोट की छाल के 10 बैग तथा 35.30 क्विंटल खैर/ईंधन की लकड़ी दीर्घकाल तक भण्डारण तथा मौसम की खराबी के कारण पूर्णतः नष्ट हो गई थी। अभिगृहीत इमारती लकड़ी के निपटान हेतु समयोचित कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरुप 59,202 लाख रु० की राजस्व हानि हुई।

---

* निचार, पार्बती, राजगढ़, रामपुर, रेणुका, रोहड़ू तथा ठियोग

** चौपाल, चम्बा, चुराह, निचार, पार्वती, रामपुर, रोहड़ू तथा रेणुका

5.2.9 वन अपराध प्रकरणों का अनुचित समाधान

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए (दिसम्बर 1986) मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार वन मण्डल अधिकारियों को उन वन अपराध प्रकरणों के समाधान की शक्ति नहीं है जिनमें उच्चतर श्रेणी (श्रेणी II ए तथा उससे ऊपर) के एक वृक्ष से अधिक तथा निम्नतर श्रेणी (श्रेणी III तथा उससे ऊपर) के दो वृक्षों से अधिक के अवैधपातन सम्मिलित हों। ऐसे प्रकरणों को पुलिस में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

निचार वन मण्डल में मैसर्स जे0पी0 इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से सम्बद्ध 254 तथा 103 वृक्षों से अन्तः ग्रस्त 2 प्रकरणों का वन मण्डल अधिकारी द्वारा अपनी सक्षमता से बाहर 1994-95 तथा 1995-96 के बीच समाधान किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 12.37 लाख रु0 के मूल्य की 123.95 घनमीटर के स्थायी आयतन की इमारती लकड़ी के 357 वृक्षों का अनुचित समाधान हुआ तथा पुलिस में अपराधकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरणों का पंजीकरण नहीं हुआ।

5.2.10 गलत दरें लागू करना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत समाधान किए जाने वाले समग्र प्रकरणों के लिए राज्य सरकार द्वारा वन प्रकरणों के समाधान हेतु जारी किए गए (दिसम्बर 1986) मार्गदर्शक सिद्धान्तानुसार, प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, वन उत्पाद को प्रचलित बाजार दरों की कीमत प्रभारित करने के पश्चात् विमोचित किया जाना होता है।

4 मण्डलों* में 1992-93 तथा 1996-97 के मध्य पड़ने वाले वर्षों से सम्बद्ध 5626 प्रकरणों का समाधान करते समय वनोत्पाद का मूल्य पूर्व वर्षों को लागू दरों पर निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरुप 2.53 लाख रु0 के राजस्व की कम वसूली हुई।

5.2.11 अपराध प्रकरणों के निपटान में विलम्ब के कारण राजस्व का अवरोधन

वन अपराध प्रकरणों के निपटानार्थ जारी किए गए (अप्रैल 1951) सामान्य निर्देशानुसार क्षति-प्रतिवेदनों का समाधान या तो अपराध होने के दो मास भीतर होना चाहिए अथवा अपराध होने के एक वर्ष के भीतर न्यायालय में ले जाना चाहिए। इसका वर्णन वर्ष 1983-84 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद 6.4(i) में भी किया गया था। लोक लेखा समिति ने 31 मार्च 1987 को सदन में प्रस्तुत अपने 113वें प्रतिवेदन (छठी विधानसभा) में वन अपराध प्रकरणों के निपटान में विलम्ब पर खेद व्यक्त किया तथा इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी चूककर्ता तथा उपेक्षी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई संस्तुत की।

---

* पांवटा साहब, रोहड़ू, सिराज तथा सुकेत

सरकार ने लोक लेखा समिति (सातवीं विधानसभा) के 16 दिसम्बर 1993 को सदन में प्रस्तुत अपने 116वें कार्रवाई प्रतिवेदन में समाविष्ट उत्तर में बताया कि इस परिच्छेद से सम्बद्ध सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रहीं थी और जैसे ही प्राप्त होगी समिति को आपूरित की जाएगी। समिति सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं थी तथा उसने अपनी संस्तुतियों में वन अपराध प्रकरणों के निपटान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को पुनः जानना चाहा।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच (जून 1997 तथा जनवरी 1998 के बीच) से प्रकट हुआ कि 19* मण्डलों में 1991-92 के अन्त में 11,437 वन प्रकरण लम्बित थे जो मार्च 1997 की समाप्ति तक बढ़कर 17,979 हो गए जिससे 57.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन 17,979 प्रकरणों के प्रभार्य प्रतिपूर्ति तथा उत्पाद मूल्य 816.88 लाख रु0 संगणित किया गया तथा परिणामस्वरुप प्रकरणों को अन्तिम रुप दिए जाने में विलम्ब के कारण राजस्व अवरोधन हुआ। इनमें से विभाग के पास लम्बित 17100 प्रकरणों में 520.17 लाख रु0 की राशि अन्तः ग्रस्त थी तथा शेष प्रकरण या तो पुलिस के पास या फिर न्यायालय में थे।

5.2.12 वन भूमि पर अनुचित अधिकार

कृषि/औद्यानिक प्रयोजनार्थ वन भूमि को खण्डित करके उस पर अनुचित अधिकार करना भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध है।

16 वन मण्डलों** के अभिलेखों की नमूना जांच से यह उद्घाटित हुआ कि 1884 प्रकरणों में 1831 वृक्षों से अन्तः ग्रस्त 387.308 हैक्टेयर वन भूमि पर अपराधकर्ताओं द्वारा वर्ष 1992-93 से 1996-97 के बीच अनुचित अधिकार किया गया था। ये प्रकरण राजस्व न्यायालयों तथा वन विभाग में क्रमशः निर्णयों एवं कार्यवाहियों के लिए लम्बित पड़े थे। 1884 प्रकरणों में 387.308 हैक्टेयर वन भूमि का अधिकार न छोड़ने के परिणामस्वरुप प्रतिपूर्ति/वृक्ष मूल्य की ऊगाही नहीं हुई तथा 234.21 लाख रु0 (केवल 1831 वृक्षों का मूल्य) का परिणामी राजस्व अवरोधन हुआ। अनुचित रुप से अधिकृत वनभूमि के सम्बन्ध में मूल्य तथा प्रतिपूर्ति का निर्धारण विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

---

* चम्बा, चौपाल, चुराह, जुब्बल, करसोग, कोटगढ़, नाचन, निचार, नूरपुर, पांवटा साहब, पार्वती, राजगढ़, रामपुर, रेणुका, रोहडू, सिराज, सुन्दरनगर, ठियोग तथा ऊना।

** चम्बा (10.12), चौपाल (13.50), चुराह (0.04), जुब्बल (0.46), कोटगढ़ (52.48), नाचन (28.16), निचार (1.71), नूरपुर (80.33), पावंटा साहब (25.78), पार्वती (4.48), राजगढ़ (41.68), रामपुर (1.49), रोहडू (83.208), रेणुकाजी (22.64), सिराज (9.52) तथा सुन्दरनगर (11.71)।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़ें क्षेत्रफल को हैक्टेयरों में प्रदर्शित करते हैं।

5.2.13 अभिगृहीत वनोत्पाद का प्रत्यक्ष सत्यापन करने में विफलता

किसी अभाव/चोरी अथवा दुरुपयोग से सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु वन अधिकारी से समय समय पर अभिगृहीत वनोत्पाद/सम्पत्ति का प्रत्यक्षतः सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। डकैती/चोरी का कोई भी प्रकरण पुलिस को प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है।

17 मण्डलों* में लेखापरीक्षा के बीच (जून 1997 तथा जनवरी 1998) यह पाया गया कि वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान 105.46 लाख रु0 के मूल्य के शंकुल तथा चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों की 1380.786 घनमीटर की इमारती लकड़ी अभिगृहीत की गई थी। यद्यपि इमारती लकड़ी की यह मात्रा सम्बद्ध मण्डलों की पुस्तकों में प्रदर्शित की जा रही थी परन्तु इन मण्डलों के वन अधिकारियों द्वारा उसका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

इस प्रकार विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि अभिगृहीत लकडी के वास्तविक शेष पुस्तक शेषों के तुल्य थे तथा कोई चोरी/अभाव नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रकरणों को वन मण्डल अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था (जून 1997 तथा जनवरी 1998 के बीच)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

5.2.14 उच्च शक्तियुक्त समिति की कार्यप्रणाली

हिमाचल प्रदेश में अवैध वृक्षपातन के नियन्त्रणार्थ तथा पुलिस, वन एवं प्रवर्त्तन के समन्वयार्थ प्रभावी पग उठाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने तीन समितियों अर्थात् मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च शक्तियुक्त समिति, वित्त आयुक्त (विकास) की अध्यक्षता में मध्यम स्तरीय समन्वय समिति तथा मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में क्षेत्र स्तरीय समिति का गठन किया (जून 1982)। मध्यम स्तरीय तथा क्षेत्र स्तरीय समितियों का समापन क्रमशः- दिसम्बर 1987 तथा दिसम्बर 1996 में किया गया था। उच्च शक्तियुक्त समिति सामान्यतः प्रवर्तन विभाग के पास लम्बित प्रकरणों तथा केवल ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निपटान में उनके द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की समीक्षा करती रही थी। अवैध वृक्षपातन के नियंत्रणार्थ प्रभावी पग उठाने हेतु गठित उच्च शक्तियुक्त समिति ने केवल प्रवर्तन विभाग के कार्यचालन की समीक्षा की। राज्य में अवैध वृक्ष पातन के नियंत्रणार्थ उच्च शक्तियुक्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों, यदि कोई हों, के आधार पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश आमंत्रित किए गए हैं (जून 1998)। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

---

* चम्बा, चौपाल, चुराह, जुब्बल, करसोग, कोटगढ़, नाचन, निचार, पांवटा साहब, पार्बती, राजगढ़, रामपुर, रेणुका, रोहड़ू, सिराज, सुन्दरनगर तथा ठियोग

इस प्रकार, यह समीक्षा इस तथ्य को प्रकाश में लाती है कि विभाग वन अपराधों को रोकने पर उचित नियंत्रण नहीं रखा सका क्योंकि वह अवैधरुपेण पातित 3099 वृक्षों तथा 123.19 लाख रु0 मूल्य के 562 नगों के अभिग्रहण के प्रति प्रतिवेदन जारी करने, 80.58 लाख रु0 के 3056 अपराध प्रकरणों का विभागीयरुपेण समाधान करने अथवा उन्हें अवधि सीमा के भीतर न्यायालय ले जाने में, जिससे वे कालातीत हो गए, 50.07 लाख रु0 मूल्य के अवैधरुपेण गिराये वृक्षों की इमारती लकड़ी के अभिग्रहण में विफल रहा। 17,979 अपराध प्रकरणों में जो मार्च 1997 की समाप्ति पर लम्बित पड़े थे, प्रतिपूर्ति तथा उत्पाद मूल्य के कारण प्रभार्य राजस्व की राशि 816.88 लाख रु0 अवरुद्ध थीं जबकि 1831 खड़े वृक्षों वाली 3,87,300 हैक्टेयर वन भूमि पर अनुचित अधिकार के प्रकरण (1884) भी निर्णय/प्रक्रियार्थ लम्बित पड़े थे।

5.3 चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों पर रॉयल्टी का गलत निर्धारण

राज्य सरकार के एक निर्णयानुसार (अप्रैल 1983) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को बचे-खुचे समूहों में दोहनार्थ चिन्हित एवं सौंपे गए शंकुल वृक्षों की रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों की निर्धारित रॉयल्टी दर के 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य है यदि वन अथवा उसके संभाग के कुल क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर इस प्रकार चिन्हित किए गए वृक्षों का आयतन क्रमशः 15 घनमीटर व ऊपर; 15 घनमीटर से कम परंतु 5 घनमीटर तक तथा 5 घनमीटर से कम है। इमारती लकड़ी की चिराई हेतु चिन्हित शंकुल वृक्षों से भिन्न समूह उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत आवृत्त नहीं होते हैं और ऐसे समूहों में सम्मिलित वृक्षों पर रॉयल्टी की पूर्ण दरें प्रभारित की जानी अनिवार्य है।

चार* वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (अगस्त 1996 तथा जनवरी 1998 के बीच) की इमारती लकड़ी के 8,254.192 घनमीटर स्थायी आयतन वाले चौड़ी पत्ती के तथा 11,555.809 मीटर परिधि वाले खैर के वृक्षों के 99 बचे-खुचे समूह वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान निगम को दोहनार्थ सौंपे गए थे। तथापि मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा इन समूहों पर रॉयल्टी चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के लिए प्रभार्य पूर्ण दरों को लागू करने की बजाय घनत्व घटक लगाकर निम्नतर दरों पर प्रभारित की गई थी। इसके परिणामस्वरुप 192.67 लाख रु0 (बिक्री कर

---

* जोगिन्द्रनगर, नाहन, नूरपुर तथा ऊना

सहित) की रॉयल्टी अल्प प्रभारित हुई जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	समूहों की संख्या	कार्यचालन वर्ष	स्थायी आयतन (घनमीटरों में/ खैर की अधिकतम परिधि	रॉयल्टी की राशि प्रभार्य	प्रभारित	प्रभारित बिक्री कर	अल्प प्रभारित बिक्री कर	जोड़
					(लाख	रुपए)			
1.	नाहन	7	1994-95	373.189 मी0 परिधि	3.70	0.55	3.15	0.95	4.10
		16	1995-96	4741.302 घनमीटर	107.24	23.58	83.66	25.10	108.76
2.	नूरपुर	16	1995-96	4391.010 घनमीटर	39.91	30.44	9.47	2.84	12.31
		1	1995-96	20.830 घनमीटर	0.20	0.02	0.18	0.06	0.24
		31	1996-97	4044.900 मी0 परिधि	40.45	21.13	19.32	5.80	25.12
3.	ऊना	20	1995-96	2746.710 मी0 परिधि	36.48	11.09	25.39	7.61	33.00
4.	जोगिन्द्रनगर	4 4	1993-94 1994-95	3492.06 घनमीटर	10.04	3.01	7.03	2.11	9.14
	जोड़	99		8254.192 घनमीटर 11,555.809 मीटर परिधि	238.02	89.82	148.20	44.47	192.67

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (नवम्बर 1995 तथा जनवरी 1998 के बीच) विभाग ने बताया (फरवरी 1997) कि जोगिन्द्रनगर मण्डल के सम्बन्ध में निगम के विरुद्ध 9.14 लाख रु0 की अन्तरीय राशि की संशोधित मांग उठाई गई थी जिसमें से 0.07 लाख रु0 की वसूली हो चुकी थी। वन मण्डल अधिकारी, नूरपुर ने बताया (अप्रैल 1997) कि 1995-96 के एक समूह के सम्बन्ध में संशोधित बिल निगम को भेजा जा रहा था। ऊना मण्डल के प्रकरण में मामला प्रमुख अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश को स्पष्टीकरणार्थ सन्दर्भित तथा नाहन मण्डल के प्रकरण में खैर के समूहों के सम्बन्ध में मांग उठाई जा रही थी। नाहन मण्डल के 16 समूहों तथा नूरपुर मण्डल के 47 समूहों (16 समूह: 1995-96, 31 समूह: 1996-97) के सम्बन्ध में आगामी प्रगति एवं उत्तर तथा वसूलियों का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

ये प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किए गए थे (सितम्बर 1996 तथा जनवरी 1998 के बीच)। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

5.4 रॉयल्टी की अल्पवसूली होना/वसूली न होना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को समग्र वन समूहों के दोहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसके लिए उसे मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दरों से वृक्षों पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक होता है। जून 1985 में जारी किए गए विभागीय अनुदेशानुसार विभाग द्वारा रॉयल्टी की मांग निगम को दोहनार्थ सौंपे गए समूहों के तुरन्त पश्चात् उठाई जानी होती है।

(क) छः वन मण्डल कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (मार्च 1995 तथा सितम्बर 1997 के बीच) कि वर्ष 1993-94 तथा 1995-97 के बीच निगम को दोहनार्थ इमारती लकड़ी के 31,364.46 घनमीटर स्थायी आयतन के खैर की 63.48 मीटर परिधि के 11 बचे-खुचे वन समूह तथा ईंधन काष्ठ का एक समूह सौंपा गया था। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन वृक्षों तथा ईंधन काष्ठ पर 139.38 लाख रु0 की रॉयल्टी राशि या तो प्रभारित नहीं की गई या अल्पप्रभारित की गई थी। इसके परिणामस्वरुप 139.38 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई/अल्पवसूली हुई जैसा कि नीचे ब्यौरे में दिया गया है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	मूल अथवा अनुपूरक चिन्हांकन	समूहों की संख्या	कार्यचालन वर्ष	वृक्षों की संख्या	खड़ा आयतन (घनमीटरों में/ मीटरों में खैर की परिधि)	रॉयल्टी की राशि (लाख रुपए)		
							प्रभार्य	प्रभारित	अप्रभारित/ अल्पप्रभारित
1.	रोहड़ू	मूल तथा प्रथम अनुपूरक	1	1994-96	3,270	3,023.00	38.59	20.39	18.20
अभ्युक्तियां:- रॉयल्टी की गलत दरें लगाई गई थीं									
		द्वितीय अनुपूरक			1,541	3,519.79	43.96	--	43.96
अभ्युक्तियां:-		रॉयल्टी का दावा नहीं किया था।							
		मूल तथा प्रथम अनुपूरक	1	1994-97	4,447	10,397.11	62.95	32.96	29.99
					2,705	8,660.58	42.47	--	42.47
अभ्युक्तियां:-		रॉयल्टी की गलत दरें लगाई गई थीं।							
		द्वितीय अनुपूरक							

क्रमांक	मण्डल का नाम	मूल अथवा अनुपूरक चिन्हांकन	समूहों की संख्या	कार्यचालन वर्ष	वृक्षों की संख्या	खड़ा आयतन (घनमीटरों में/ मीटरों में खैर की परिधि)	रॉयल्टी की राशि प्रभार्य	प्रभारित	अप्रभारित/ अल्पप्रभारित
							(लाख रुपए)		
2.	सिराज	मूल अनुपूरक	1	1995-97	839	3,213.88	34.26	34.26	--
					389	2,197.08	25.61	23.68	2.33
अभ्युक्तियां:- अनुपूरक चिन्हांकन में चिन्हित वृक्षों पर रॉयल्टी का दावा नहीं किया था।									
3.	नालागढ़	मूल	5	1995-96	--	63.48 (एम जी) 3.05 घनमीटर	0.95	0.05	0.90
अभ्युक्तियां:- खैर समूहों की रॉयल्टी मीटर परिधि दरों की बजाय प्रति घनमीटर दरों से प्रभारित की गई थी तथा चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों के लिए गलत दरें भी लगाई गई थीं।									
4.	बिलासपुर		1	1993-94	31 हैक्टेयर	--	1.38	0.66	0.72
अभ्युक्तियां:- रॉयल्टी कैपिस समूहों के लिए निर्धारित प्रति हैक्टेयर की दरों की बजाय ईंधन काष्ठ के लिए निर्धारित प्रति घनमीटर की दरों से प्रभारित की गई थी।									
5.	चम्बा		1	1995-96	347	349.97	1.31	0.87	0.44
अभ्युक्तियां:- अनुपूरक चिन्हांकन के 96 वृक्षों (आयतन 119.491घनमीटर) पर रॉयल्टी की मांग नहीं उठाई गई थी।									
6.	चुराह		1	1993-95	--	6,918 क्विंटल	0.37	--	0.37
अभ्युक्तियां:- ईंधन काष्ठ पर रॉयल्टी का दावा नहीं किया था।									

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (अक्तूबर 1995 तथा सितम्बर 1997 के बीच) विभाग ने बताया (नवम्बर 1995 तथा मार्च 1998) कि रोहड़ू मण्डल से सम्बन्धित मामला निगम के साथ पत्राचाराधीन/समाधानाधीन था जबकि सिराज,चम्बा तथा नालागढ़ मण्डलों के सम्बन्ध में 3.67 लाख रु0 की अन्तरीय राशियों की संशोधित मांगे उठाई जा चुकी थी। आगामी प्रगति तथा

वसूली के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

इन प्रकरणों के प्रतिवेदित किए जाने पर (जुलाई 1996 तथा अक्तूबर 1997 के बीच) सरकार ने बताया (अगस्त 1995 तथा फरवरी 1996) कि चुराह तथा बिलासपुर मण्डलों में 1.09 लाख रु0 की मांगे निगम से की जा चुकी थी (मई-अक्तूबर 1995)। शेष मण्डलों के सम्बन्ध में वसूलियों के प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

(ख) राज्य सरकार के 1990 तथा तत्पश्चात् की फलऋतु के लिए किए गए निर्णयानुसार जुलाई 1990 गेल्टुओं* में रुपान्तरणार्थ कोई भी वृक्षपातन नहीं किया जाना था तथा निगम के पास पड़े गेल्टुओं के केवल शेष बचे हुए स्टॉक की आरामालिकों को अपूरित किए जाने थे। तथापि जुलाई 1990 से पूर्व पातनार्थ निगम को सौंपे गए शेष बचे हुए वृक्षों के सम्बन्ध में उन्हें गेल्टू से भिन्न व्यापारिक प्रयोजनों के लिए गिराया जा सकता था। ऐसे बचे-खुचे वृक्षों की रॉयल्टी गेल्टुओं की दरों की बजाय वाणिज्यिक दरों से प्रभारित की जानी आवश्यक थी।

सुकेत वन मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जुलाई 1994) कि वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के बीच इमारती लकड़ी के 1,763.694 घनमीटर खड़े आयतन वाले 1447 वृक्षों के दो गेल्टू समूह निगम को दोहनार्थ सौंपे गए थे जिनमें से इमारती लकड़ी के 609.87 घनमीटर स्थायी आयतन वाले 256 फर/कैल वृक्ष प्रतिबन्ध लगने के पश्चात् निगम द्वारा व्यापारिक इमारती लकड़ी के रुप में गिराए गए थे जिनके लिए वाणिज्यिक दरें प्रभार्य थीं। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा ने यह उद्घाटित किया (जुलाई 1994) कि विभाग ने 2.59 लाख रु0 की बजाय 1.90 लाख रु0 की अन्तरीय रॉयल्टी की राशि का दावा किया था। इसके परिणामस्वरुप 88,249 रु0 (बिक्री कर तथा अधिभार सहित)की रॉयल्टी की अल्पवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस तथ्य के इंगित किए जाने पर (जुलाई 1994) विभाग ने बताया (मार्च 1995) कि 88,249 रु0 की मांग राशि निगम ने भुगतानार्थ स्वीकार कर ली थी। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1998)।

5.5. ब्याज व शास्ति का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को वन समूहों के दोहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसके लिए उसे मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय तिथियों पर विभिन्न वन समूहों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की किश्तें जमा करना आवश्यक होता है। सरकार ने सितम्बर 1987 में निर्णय लिया कि यदि रॉयल्टी देय तिथि के बाद से 90 दिनों के भीतर भुगतान नहीं की जाती तो वर्ष 1986-87 से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य होगा जिसे बढ़ाकर 1991-92 से 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया (सितम्बर 1991)।

* गेल्टू मानक आकार की फल/पैक करने की पेटियों में रुपान्तरणार्थ विनिर्दिष्टाकार के समूह खण्डों को दशति हैं।

पुनः मानक अनुबन्ध विलेख की धारा 18 (छ) (राज्य वन निगम को लागू) के अनुसार सम्बद्ध कर कानूनों के अन्तर्गत समूह के बिक्री मूल्य पर यथोद्ग्राहय बिक्री कर का भुगतान रॉयल्टी की किश्त के साथ करना होगा। ऐसा करने की विफलता पर बिक्री कर के विलम्बित भुगतान हेतु निगम को 18 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करना पड़ेगा।

चार वन मण्डल कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जून 1993 तथा जनवरी 1997 के बीच) कि निगम को वर्ष 1992-93, 1994-95, 1994-96 तथा 1995-96 के बीच दोहनार्थ सौंपे गए 24 वन समूहों के सम्बन्ध में या तो रॉयल्टी की किश्तें 90 दिनों के अन्दर नहीं दी गई थी या रॉयल्टी किश्तों पर उद्ग्राहय बिक्री कर की राशि निश्चित तिथियों के बाद दी गई थी। रॉयल्टी व बिक्री कर के भुगतान में विलम्ब के कारण क्रमशः 16.5 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा शास्ति उद्ग्राहय थी परन्तु विभाग द्वारा उसकी मांग नहीं की गई। इसके परिणामस्वरुप निम्नदत्त विवरणानुसार 25.39 लाख रु0 की वसूली नहीं हुई।

क्रमांक	मण्डल का नाम	समूहों की संख्या	दोहन वर्ष	के कारण प्रभार्य राशि		ब्याज तथा शास्ति का अनुद्ग्रहण
				ब्याज	शास्ति	
				(लाख रुपए)		
1.	कुल्लू (क्षेत्रीय)	8	1992-93	---	13.34	13.34
		2	1992-94			
		1	1992-95			
2.	पालमपुर	3	1994-95	6.82	--	6.82
		5	1994-96			
3.	बिलासपुर	2	1994-95	0.57	--	0.57
		2	1995-96			
4.	कुल्लू (वन्य प्राणी)	1	1994-96	4.66	--	4.66
	जोड़	**24**		**12.05**	**13.34**	**25.39**

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जून 1993 तथा जनवरी 1997 के बीच) विभाग ने बताया (मार्च 1997 तथा नवम्बर 1997) कि कुल्लू मण्डल के सम्बन्ध में बिक्री कर के ब्याज का समाधान निगम के साथ कर दिया गया था जिसने निर्धारण प्राधिकारी से बिक्री कर के निर्धारण की प्राप्ति पर राशि को निस्तारित करने के लिए सहमति दे दी थी। जबकि बिलासपुर मण्डल के विषय में ब्याज की मांग निगम से कर ली गई थी। कुल्लू (वन्य प्राणी) मण्डल के सम्बन्ध में वसूलियों के प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

सरकार ने जिसे ये प्रकरण सितम्बर 1993 तथा फरवरी 1997 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे, बताया (अगस्त 1998) कि पालमपुर मण्डल से सम्बन्धित ब्याज की मांग

निगम से कर ली गई थी (अगस्त 1997)। शेष मण्डलों के सम्बन्ध में उत्तर तथा वसूली के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

5.6 बिक्री कर की अल्प वसूली

चिह्नांकित वृक्षपातन, उनके रुपान्तरण तथा इमारती लकड़ी के निस्सारण हेतु वनों को पट्टे पर देने से सम्बद्ध मानक अनुबन्ध की धारा 18(छ) में यह प्रावधान है कि पट्टाधारक चाहे पंजीकृत बिक्री कर निर्धारिती हो या नहीं वह रॉयल्टी के अतिरिक्त, समूह के बिक्री मूल्य पर राज्य के सम्बद्ध बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत उद्ग्राहय बिक्री कर का भुगतान भी करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को वन समूहों में कार्य करने के पट्टाधिकार दिए गए हैं, तदनुसार उसे बिक्री कर का भुगतान करना अनिवार्य है।

(क) वन मण्डल अधिकारी, चौपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (जुलाई 1993) कि वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान निगम को दोहनार्थ सौंपे गए 982.42 लाख रु0 की रॉयल्टी के साल्वेज वन समूहों के सम्बन्ध में बिक्री कर रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य था परन्तु विभाग ने 27.5 प्रतिशत (बिक्री कर पर 10 प्रतिशत के अधिभार सहित) की निम्न दरों पर प्रभारित किया। परिणामत: 24.56 लाख रु0 के बिक्री कर की अल्प वसूली हुई।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1993) में इस तथ्य की ओर संकेत करने पर विभाग ने जनवरी 1996 में बताया कि निगम को 30 प्रतिशत की दर से बिक्री कर के संशोधित बिल दिए जा रहे थे। आगामी प्रगति तथा वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

यह मामला सरकार को नवम्बर 1993 में प्रतिवेदित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

(ख) वन मण्डल अधिकारी, पांगी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 1994) कि 24.37 लाख रु0 की रॉयल्टी राशि के बचे-खुचे 2 वृक्ष समूह 1991-92 वर्ष में दोहनार्थ निगम को सौंपे गए थे। विभाग ने अप्रैल 1991 से रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य बिक्री कर 27.5 प्रतिशत (बिक्री कर पर 10 प्रतिशत अधिभार सहित) की न्यून दर से प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरुप वर्ष 1991-92 में 60,933 रु0 के बिक्री कर की अल्प वसूली हुई।

सितम्बर 1994 में लेखापरीक्षा में इसे सूचित करने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1995) कि दिसम्बर 1994 में निगम से बिक्री कर की संशोधित मांग कर ली गई थी। वसूली प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1998)।

यह मामला अक्तूबर 1994 सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

5.7 इमारती लकड़ी के कम रुपान्तरण के कारण राजस्व की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को सभी वन गट्ठों के दोहन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसे मूल्य निर्धारण समिति की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वृक्षों की रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। निगम उन गट्ठों का भी दोहन करता है जो वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न बिक्री डिपुओं को इमारती लकड़ी की आपूर्ति के लिए चिन्हित किए जाते हैं जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ अधिकार धारकों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। विभाग ने देवदार, कैल व चील तथा फर व स्प्रूस के वृक्षों के लिए उत्पाद प्रतिशतता (सॉन टिम्बर, हाकड़ी, पल्पवुड तथा फ्यूलवुड आदि सहित) स्थायी आयतन की क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत निर्धारित की थी (फरवरी 1986)।

चम्बा व लाहौल के वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय यह पाया गया (मार्च 1996 तथा अगस्त 1996) कि 2,978.84 घनमीटर की इमारती लकड़ी के स्थायी आयतन के देवदार, कैल, फर व स्प्रूस प्रजाति के दो सालवेज गट्ठों को वर्ष 1993-95 तथा 1994-95 के दौरान निगम को दोहन हेतु सौंपा गया ताकि इन मण्डलों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न बिक्री डिपुओं को उपर्युक्त रुपान्तरित इमारती लकड़ी की आपूर्ति की जाती तथा इस इमारती लकड़ी को अधिकार धारकों को सस्ती दरों पर बेचा जा सकता। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2574 घन मीटर इमारती लकड़ी के स्थायी आयतन के प्रति (कैल के 404.84 घनमीटर स्थायी आयतन जिसके बारे में विहित सीमा से रुपान्तरण अधिक हो गया था, को छोड़ कर) विभाग को निर्धारित मानकों के अनुसार 1,434.09 घनमीटर रुपान्तरित इमारती लकड़ी की कम से कम प्रमात्रा प्राप्त करनी थी। तथापि, निगम ने 928.91 घनमीटर इमारती लकड़ी निकाली जिस कारण 505.18 घनमीटर लकड़ी कम रुपान्तरित हुई। लाहौल मण्डल में निगम ने रुपान्तरित इमारती लकड़ी के 891.69 घनमीटर निकाले जिसके प्रति दिसम्बर 1995 तक केवल 275.60 घनमीटर आपूरित किए गए जबकि मार्च 1995 में गट्ठे के बनाने की अवधि समाप्त हो गई थी। 616.09 घनमीटर रुपान्तरित इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए विभाग ने कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार कम रुपान्तरण तथा रुपान्तरित इमारती लकड़ी की कम आपूर्ति 25.16 लाख रु0 मूल्य की लकड़ी की कम प्राप्ति में परिणत हुई (बिक्री कर सहित)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (जुलाई 1997) कि निगम ने इमारती लकड़ी के कम रुपान्तरण को गट्ठों में सड़े, क्षतिग्रस्त तथा खोखले वृक्षों से आबद्ध किया। यह तर्क मान्य नहीं था क्योंकि निगम को दोहनार्थ सौंपे गए गट्ठों की चिन्हांकन सूचियों में किसी भी वृक्ष को इस प्रकार श्रेणीकृत नहीं किया गया था। जहां तक बिक्री डिपुओं को परिवर्तित इमारती लकड़ी की कम आपूर्ति का सम्बन्ध है विभाग ने बताया कि वन/सड़क के किनारे पड़ी 616.09 घनमीटर इमारती लकड़ी आगामी कार्य मौसम के दौरान बिक्री डिपुओं को ले जाई जाएगी।

इन मामलों में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

मामले सरकार को अप्रैल 1996 तथा अक्तूबर 1996 में प्रतिवेदित किए गए। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1998)।

5.8 वृक्षों के आयतन के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम जिसे वन दोहन कार्य के उत्तरदायित्व को सौंपा गया है, को मूल्य निर्धारण समिति की सम्बद्ध कार्यकारी योजना में विहित आयतन तालिका के आधार पर उसकी संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वृक्षों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है।

पांच वन मण्डल कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 1995 तथा जुलाई 1997 के मध्य) कि निगम को वर्ष 1994-95 (18 गट्ठे), 1995-96 (16 गट्ठे), 1995-97 (1 गट्ठा), 1995-98 (1 गट्ठा) तथा 1996-97 (14 गट्ठे) के दौरान 50 सालवेज गट्ठे दोहनार्थ सौंपे गए थे। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि आयतन तालिका के गलत लागू करने, वृक्षों की श्रेणियों का गलत निर्धारण तथा आयतन गणना में त्रुटियों के कारण 10,101 वृक्षों का चिन्हित तथा इन गट्ठों में सम्मिलित स्थायी आयतन 7,251.276 घनमीटर तथा खैर का घेरा 375.45 मीटर निकाला जबकि सही आयतन क्रमशः 7,776.904 घनमीटर तथा खैर का घेरा 426.61 मीटर था। इस कारण 17.62 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी की कम वसूली हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	गट्ठों की संख्या	वृक्षों की संख्या	वृक्षों का स्थायी आयतन			कम प्रभारित रॉयल्टी तथा बिक्री कर (रु0)
				वास्तविक	विभाग द्वारा संगणित	विभाग द्वारा कम लिया गया	
1.	नाहन	22	6,951	3,052.104	2,715.766	336.338	15,35,288
अभ्युक्तियां:- सम्बद्ध कार्यकारी योजना में विहित आयतन तालिका को सही ढंग से लागू न करना।							
2.	नूरपुर	15	593	919.220	881.020	38.200	80,026
अभ्युक्तियां:- विहित आयतन तालिका का गलत लागू करना/चिन्हांकन सूचियों के सार में वृक्षों का गलत वर्गीकरण तथा आयतन गणना में अशुद्धियां।			(चील)				
			597 (खैर)	426.610 (मी0 घेरा)	375.450 (मी0 घेरा)	51.160 (मी0 घेरा)	

क्रमांक	मण्डल का नाम	गट्ठों की संख्या	वृक्षों की संख्या	वृक्षों का स्थायी आयतन			कम प्रभारित रॉयल्टी तथा बिक्री कर (रु०)
				वास्तविक	विभाग द्वारा संगणित	विभाग द्वारा कम लिया गया	
3.	बिलासपुर	2	1,473	2,149.910	2,064.590	85.320	59,580
अभ्युक्तियां:- संशोधन पूर्व आयतन तालिका को लागू किया।			(चील)				
4.	पार्बती	2	431 (कैल)	1,547.700	1,530.700	17.000	46.966
अभ्युक्तियां:-वृक्षों का गलत वर्गीकरण							
5.	डलहौजी	9	56 (चील)	107.970	59.200	48.770	39,773
अभ्युक्तियां:-वृक्षों का गलत वर्गीकरण							
	जोड़	50	10,101	7,776.904 (घन मी०)	7,251.276 (घन मी०)	525.628 (घन मी०)	17,61,633 यथा
				426.610 (मी० घेरा)	375.450 (मी० घेरा)	51.160 (मी० घेरा)	17.62 लाख रु०

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 1995 तथा जुलाई 1997 के मध्य) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1995 तथा सितम्बर 1997) कि रॉयल्टी तथा बिक्री कर के लिए 526.628 घनमीटर इमारती लकड़ी के स्थायी आयतन के बारे में (नवम्बर 1995 तथा अगस्त 1997 के मध्य) निगम के प्रति संशोधित बिल जारी किए गए तथा नूरपुर मण्डल में खैर के 4.76 मीटर घेरे के गलत निर्धारण के विषय में मामलों की छानबीन की जा रही थी जबकि खैर वृक्षों के बाकी के 46.40 मीटर घेरे के आयतन का मामला उठाया जा रहा था। वसूली की प्रगामी प्रगति व रपट प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

मामला सरकार को (सितम्बर 1995 तथा अगस्त 1997 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

5.9 उपयुक्त वृक्षों पर रॉयल्टी की अल्प वसूली

वनों को पट्टे पर देने के मानक अनुबन्ध विलेखों की शर्तों में प्रावधान है कि यदि पट्टाधारी (हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम) वृक्षों की संख्या उनके माप, वर्गीकरण तथा चिन्हांकन सूचियों में विनिर्दिष्ट अन्य वर्गीकरण को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो वन विभाग द्वारा निकाला गया स्थायी आयतन अन्तिम तथा ठीक माना जाना चाहिए तथा उसके पश्चात् विभाग वृक्षों की निर्दोषता या अन्यथा के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि उखड़े, सूखे, बर्फ

से क्षतिग्रस्त तथा आंधी से गिरे वृक्षों (बचे-खुचे गट्ठों के रुप में चिन्हांकित) तथा सड़क व विद्युत पारेषण लाइनों के संरेखण में चिन्हांकित वृक्षों की पुनः जांच के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, उपयुक्त तथा अनुपयुक्त वृक्षों के गलत वर्गीकरण के बारे में भी कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जानी थी।

वन मण्डल अधिकारी, रोहडू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय यह पाया गया (जुलाई 1995) कि वर्ष 1991-93 के दौरान 4,063.95 घनमीटर स्थायी आयतन की इमारती लकड़ी को 2,199 उपयुक्त वृक्षों का एक बचा-खुचा गट्ठा चिन्हित किया तथा चिन्हांकन सूचियों को अप्रैल 1991 (मूल चिन्हांकन : 3,781.96 घनमीटर) तथा जुलाई 1991(अनुपूरक चिन्हांकनः 281.99 घनमीटर) में निगम को दोहनार्थ भेजा गया था। गट्ठे के कार्य की पट्टा अवधि 31 मार्च 1993 तक थी। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 4,063.95 घनमीटर के कुल उपयुक्त आयतन के प्रति अनुबन्ध विलेख के प्रावधानों के प्रतिकूल, विभाग ने 15 दिसम्बर 1992 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान निगम के साथ वृक्षों पुनरीक्षण के समय 1, 046.68 घनमीटर अनुपयुक्त स्थायी आयतन की इमारती लकड़ी दशनि वाली समाधान विवरणी स्वीकार की। इस कारण 11.16 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की राशि की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

इसे लेखापरीक्षा (जुलाई 1995) में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मार्च 1998) कि मामला निगम के साथ पत्राचाराधीन था। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

प्रकरण अगस्त 1995 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1998)।

5.10 गलत दरें लगाने से रॉयल्टी की अल्प वसूली

राज्य सरकार के अप्रैल् 1983 के एक निर्णयानुसार सभी खड़े हरे, हरे चोटी रहित, सूख रहे तथा क्षतिग्रस्त हरे चिंहित वृक्षों तथा सालवेज गट्ठों में हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम (निगम) को दोहनार्थ सौंपे गए इन वृक्षों के लिए निगम द्वारा रॉयल्टी खड़े हरे वृक्षों की पूर्ण दरों पर निर्धारित दरों पर भुगतान की जाएगी।

(क) वन मण्डल अधिकारी, रामपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया (सितम्बर 1996) कि वर्ष 1995-98 के दौरान तीन सालवेज गट्ठों को निगम को दोहनार्थ सौंपा गया था। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से प्रतीत हुआ कि यद्यपि ये गट्ठे उस श्रेणी में नहीं आते थे जिनके मामले में हरे वृक्षों के लिए पूर्ण दरों के 50 प्रतिशत या 30 प्रतिशत से रॉयल्टी प्रभार्य थी फिर भी विभाग ने गलती से 694.715 घनमीटर इमारती लकड़ी के स्थायी आयतन के 129 हरे चोटी से टूटे वृक्षों के लिए रॉयल्टी 50 प्रतिशत (दो गट्ठे) तथा 30 प्रतिशत (एक गट्ठा) की निम्न दरों पर प्रभारित की। इस प्रकार 6.95 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की राशि की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

सितम्बर 1996 में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (मई 1997) कि रॉयल्टी की 6.95 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की भेदक राशि हेतु निगम से दिसम्बर 1996 (0.84 लाख रु0) तथा जनवरी 1997 (6.11 लाख रु0) में मांग की गई। वसूली की रपट प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 1998)।

मामला नवम्बर 1996 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

(ख) वन मण्डल अधिकारी, निचार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय यह ध्यान में आया (जुलाई 1996) कि 2 सालवेज गट्ठे चिन्हांकित किए गए तथा उन्हें वर्ष 1995-96 के दौरान निगम को दोहनार्थ सौंपा गया। संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि यद्यपि रॉयल्टी का प्रभारण पूर्ण दरों पर किया जाना था, फिर भी 243.16 घनमीटर की स्थायी आयतन की इमारती लकड़ी के 113 सूख रहे हरे वृक्षों की रॉयल्टी गलती से खड़े हरे वृक्षों के लिए पूर्ण दरों की 60 प्रतिशत (138.28 घनमीटर) तथा 50 प्रतिशत (104.88 घनमीटर) की निम्न दर से प्रभारित की गई। यह इन वृक्षों के बारे में 2.79 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की कम रॉयल्टी में परिणत हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया तथा बताया (नवम्बर 1997) कि 2.79 लाख रु0 की भेदक राशि की मांग कर ली थी (फरवरी 1997)। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (अगस्त 1998)।

मामला सरकार को अगस्त 1996 में प्रतिवेदित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

5.11 वृक्षों की सघनता के गलत निर्धारण के कारण रॉयल्टी की अल्प वसूली

राज्य सरकार के एक निर्णयानुसार (अप्रैल 1983) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को बचे-खुचे समूहों में दोहनार्थ चिंहित एवं सौंपे गए सूखे (उपयुक्त) वृक्षों की रॉयल्टी दर खड़े हरे वृक्षों की रॉयल्टी दर के 60,50 तथा 30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य है यदि वन या उसके संभाग के कुल क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर इस प्रकार चिंहित किए गए वृक्षों का आयतन, क्रमशः 15 घनमीटर व ऊपर; 15 घनमीटर से कम परन्तु 5 घनमीटर तक तथा 5 घनमीटर के कम है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मार्च 1993 में निर्णय लिया कि जहां दोहन का कार्य पहले ही चल रहा था उस मामले में वृक्षों का पूरक चिंहाकन मूल समूह का भाग ही समझा जाना चाहिए चाहे, चिन्हांकित स्थायी आयतन की मात्रा कुछ भी हो।

राज्य सरकार के मई 1989 के निर्णयानुसार गट्ठे के चिन्हांकन का घनत्व मूल, अतिरिक्त या पूरक सभी चिन्हांकनों सहित वृक्षों के कुल आयतन को लेखे में लेने के बाद किया जाना चाहिए।

तीन वन मण्डल अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आया (जुलाई 1996 तथा जुलाई 1997 के मध्य) कि 4,043 वृक्षों के 4,288.129 घनमीटर इमारती लकड़ी के स्थायी आयतन वाले चार गट्ठों को चिन्हांकित किया गया तथा इन्हें वर्ष 1993-94 (एक गट्ठा), वर्ष 1995-96 (दो गट्ठे) तथा वर्ष 1996-97 (एक गट्ठा) में दोहनार्थ निगम को सौंपा गया। अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग ने इन वृक्षों के चिन्हांकन में घनत्व का गलत निर्धारण किया जिस कारण 5.05 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) की रॉयल्टी कम प्रभारित हुई जैसा कि निम्नांकित है:-

मण्डल का नाम	गट्ठों की संख्या/ कार्य वर्ष	वृक्षों की संख्या	स्थायी आयतन (घनमीटर)	प्रति हैक्टेयर वृक्षों के चिन्हांकन की सघनता		कम प्रभारित की गई रॉयल्टी (बिक्री कर सहित)
				लगाई गई	लगाई जाने योग्य	
निचार	1/1993-94	911	1,387.17	3.87	10.55	2,88,698 (रुपए)
टिप्पणी:- कार्यकारी अवधि जून 1995 तक बढ़ाई गई तथा दूसरा पूरक चिन्हांकन मार्च 1995 में सौंपा गया। इसे अलग गट्ठा माना गया न कि मूल गट्ठा का भाग। रॉयल्टी गलती से पूर्ण रॉयल्टी दरों के 50 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत प्रभारित की गई।						
करसोग	1/1996-97	42	119.139	4.77	5.957	1,50,019
टिप्पणी:- वन का क्षेत्र त्रुटि से 20 हैक्टेयर के बजाय 25 हैक्टेयर लिया गया। परिणामस्वरुप रॉयल्टी को पूर्ण रॉयल्टी दरों के 50 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत से प्रभारित किया गया।						
हमीरपुर	1/1995-96	2,998	2,633.500	10.51	9.20	66,483
	1/1995-96	92	148.320	2.86	(संयुक्त)	
टिप्पणी:- विभाग ने एक गट्ठे के बजाय एक ही वन में उसी कार्य अवधि (1995-96) हेतु दो अलग गट्ठे बनाए तथा रॉयल्टी दरों के 50 व 30 प्रतिशत से रॉयल्टी प्रभारित की। वास्तव में दोनों समूहों को एकत्र करके लिया जाना था तथा रॉयल्टी पूर्ण दरों के 50 प्रतिशत प्रभारित की जानी चाहिए थी।						
जोड़		4,043	4,288.129			5,05,200 अर्थात् 5.05 लाख रु0

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1996 तथा जुलाई 1997 के मध्य) वन मण्डल अधिकारियों ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकृत की तथा बताया (जून 1997 तथा नवम्बर 1997) कि करसोग मण्डल के मामले में रॉयल्टी की भेदक राशि निगम से वसूल की जाएगी जबकि निचार तथा हमीरपुर मण्डल के बारे में 3.55 लाख रु0 की बकाया राशि की मांग की गई थी। वसूली की आगामी प्रगति तथा रपट प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 1998)।

मामला सरकार को अगस्त 1996 तथा अप्रैल-जुलाई 1997 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

5.12 समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण

मानक अनुबन्ध विलेख की धारा 3 (हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भी प्रयोज्य) में प्रावधान है कि यदि पट्टाधारी संविदावधि में वृक्षों को गिराने, लकड़ी में परिवर्तित करने तथा वृक्षों को पट्टा क्षेत्र से बाहर ले जाने में विफल रहता है तो वह कार्यावधि में विस्तार का आवेदन कर सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर वह पट्टाधारित वन में खड़े/गिराये गए वृक्षों तथा बिखरे/चट्ठा लगाई गई लकड़ी का हकदार नहीं होगा। यदि विस्तार के लिए आवेदन किया हो तथा इसे संस्वीकृत किया गया हो, उस अवस्था में पट्टाधारी को सरकार को देय रॉयल्टी की शेष राशि पर दो प्रतिशत की दर से समयवृद्धि शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। तथापि यदि पट्टाधारी ने पूर्ण रॉयल्टी की अदायगी कर दी हो तो प्रभार्य समयवृद्धि शुल्क की दर वन समूह के कुल बिक्री मूल्य का 0.3 प्रतिशत होगी।

आठ वन मण्डलों के अभिलेखों की जांच के समय ध्यान में आया (दिसम्बर 1993 तथा अगस्त 1996 के मध्य) कि वर्ष 1991-92 तथा 1995-96 के मध्य निगम को 17 वन समूहों जिनकी पट्टावधि 31 मार्च 1992 तथा 31 मार्च 1996 के मध्य थी, को दोहनार्थ सौंपा गया। मण्डलीय अभिलेखों की संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि चूंकि इन समूहों के दोहन का कार्य पट्टावधि में पूरा नहीं किया जा सका, अतः निगम ने 15 समूहों की कार्यावधि में वृद्धि की मांग की परन्तु 2 समूहों के मामलों में समयवृद्धि नहीं मांगी गई थी। यद्यपि निगम ने पट्टावधि की समाप्ति पर भी समूहों का कार्य जारी रखा, विभाग ने न तो 14 समूहों के मामलों में कार्यावधि में वृद्धि स्वीकृत की और न ही इन समूहों से प्राप्त लकड़ी को जब्त करने तथा 3.24 लाख रु0 की राशि के समयवृद्धि शुल्क की मांग/वसूली हेतु कोई कार्रवाई की। इस कारण 3.24 लाख रु0 की राशि के समयवृद्धि शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ जैसा कि नीचे प्रदर्शित तालिका में दिया गया है:-

मण्डल का नाम	वन समूहों की संख्या	समूह का कार्य वर्ष	-तक पट्टावधि	क्या समयवृद्धि की मांग की गई	अनुमत	समयवृद्धि शुल्क की राशि प्रभार्य (रुपए)	प्रभारित	नहीं ली गई/ कम प्रभारित
धर्मशाला	2	1992-93	30 जून 1993	नहीं	नहीं	65,594	---	65,594
चुराह	1	1991-92	31 मार्च 1992	हां	हां	48,250	---	48,250
नाहन	1	1994-95	31 मार्च 1995	हां	नहीं	29,539	---	29,539
सुकेत	3	1994-95	31 मार्च 1995	हां	नहीं	46,051	---	46,051
रेणुका	1	1992-93	30 जून 1993	हां	हां	43,644	---	43,644
	1	1993-94	30 जून 1994	हां	हां			
राजगढ़	1	1994-95	31 मार्च 1995	हां	नहीं	24,058	---	24,058
करसोग	4	1995-96	31 मार्च 1996	हां	नहीं	41,092	---	41,092
जोगिन्द्रनगर	1	1994-95	31 मार्च 1995	हां	नहीं	25,487	---	25,487
	2	1995-96	31 मार्च 1996	हां	नहीं			
जोड़	17					3,23,715	---	3,23,715

लेखापरीक्षा में इसे (सिवाय चुराह मण्डल) इंगित किए जाने पर (मई 1994 तथा सितम्बर 1996 के मध्य) विभाग ने मार्च 1995 तथा जुलाई 1997 के मध्य बताया कि समयवृद्धि शुल्क की मांग 2.44 लाख रु0, (धर्मशाला: 0.68 लाख रु0; नाचन: 0.29 लाख रु0; सुकेत: 0.47 लाख रु0; रेणुका: 0.42 लाख रु0; करसोग: 0.33 लाख रु0; तथा तीन समूहों के बारे में 0.25 लाख रु0; जोगिन्द्रनगर) निगम से कर ली गई है। वन मण्डल अधिकारी, राजगढ़ ने बताया (फरवरी 1996) कि निगम से समयवृद्धि शुल्क की वसूली कर ली जाएगी। नाचन, रेणुका तथा करसोग वन मण्डलों में कम राशियों की संशोधित मांग लेखापरीक्षा में विभाग को (दिसम्बर 1997 तथा फरवरी 1998) इंगित की गई। वसूली की प्रगामी प्रगति तथा प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

सरकार जिसे मामले प्रतिवेदित किए (अप्रैल 1994 तथा सितम्बर 1996 के मध्य) ने कहा (जनवरी 1995) कि चुराह मण्डल के बारे में 724 रु0 की समयवृद्धि शुल्क की मांग (प्रतिमाह 0.3 प्रतिशत की दर से) निगम से उठा ली गई थी। चूंकि 8.04 लाख रु0 की रॉयल्टी निगम द्वारा कार्य समाप्ति पश्चात् भुगतान की गई तथापि विभाग को नवम्बर 1995 तथा पुन: जनवरी 1998 में इसे संशोधित करके 2 प्रतिशत कर देने के लिए पूछा गया। इस संदर्भ में प्रगामी उत्तर तथा अन्य मण्डलों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

5.13 वृक्षों का निपटान न करना

वन दोहन कार्य के राष्ट्रीयकरण तथा जनवरी 1986 में जारी विभागीय अनुदेशों के फलस्वरुप सालवेज समूहों में लिए गए सभी वृक्षों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को दोहनार्थ सौंपा जाना होता है और निगम उनके स्थान, आकार तथा प्रमात्रा का ध्यान न देते हुए इन समूहों में सम्मिलित वृक्षों का दोहन करने के लिए बाध्य होता है। इन समूहों हेतु रॉयल्टी मूल्य निर्धारण समिति द्वारा संस्तुत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर होती है।

सिराज वन मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के समय यह ध्यान में आया (जुलाई 1997) कि 215.95 घनमीटर स्थायी आयतन की लकड़ी के 62 सालवेज वृक्ष चिंहाकित किए गए तथा इन्हें निगम को दोहनार्थ सौंपने हेतु वांछित अनुमोदन अरण्यपाल कुल्लू ने फरवरी 1996 में दिया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि निगम को समूहों की चिन्हांकन सूचियां मार्च 1996 तथा पुन: फरवरी 1997 में भेजी गई परन्तु निगम ने इस तर्क पर समूह को लेने से इन्कार किया कि इन वृक्षों की चिंहाकन की सघनता प्रति हैक्टेयर तीन घनमीटर से कम थी। वन मण्डल अधिकारी ने (मार्च 1997) सम्बन्धित वन रेंज अधिकारी को अधिक सालवेज वृक्षों को चिन्हांकित करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया परन्तु जुलाई 1997 तक वृक्षों को निगम को नहीं सौंपा जा सका तथा इनका दोहन नहीं किया जा सका (फरवरी 1996 से जुलाई 1997)। इस प्रकार पहले से क्षतिग्रस्त वृक्षों का निपटान न हो सका तथा 1.84 लाख रु0 (बिक्री कर सहित) तक के राजस्व का अवरोधन हुआ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जुलाई 1997) विभाग ने बताया (फरवरी 1998) कि वनों की पुनः जांच पर सालवेज चिन्हांकन हेतु कोई सूखे या गिरे हुए वृक्ष उपलब्ध नहीं थे तथा निगम को समूहों को दोहनार्थ लेने के लिए कहा गया था (अगस्त-अक्तूबर 1997)। इस मामले की आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 1998)।

मामला सरकार को सितम्बर 1997 में भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 1998)।

छठा अध्याय

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

छठा अध्यायः अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

		परिच्छेद	पृष्ठ
क-	**स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.1	91
	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण	6.2	91
	स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्पनिर्धारण	6.3	92
ख-	**गृह विभाग**		
	पुलिस बल तैनाती के प्रभार की वसूली न करना	6.4	93
ग-	**लोकनिर्माण विभाग**		
	लेखापरीक्षा परिणाम	6.5	94
	क्षतियों की वसूली न करना	6.6	94

छठा अध्याय

क-स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस

6.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अभिलेखों की नमूना जांच से 24.45 लाख रु0 के स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस तथा अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित अनुद्ग्रहण/अल्प निर्धारण के 256 मामले उद्घाटित हुए जो मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/अल्पनिर्धारण	223	21.03
2.	अन्य अनियमितताएं	33	3.42
	जोड़	256	24.45

वर्ष 1997-98 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 58 मामलों में अन्तः ग्रस्त 4.76 लाख रु0 के अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किए जिनमें से 0.31 लाख रु0 के 4 मामले 1997-98 के दौरान और शेष मामले सबसे पूर्व वर्ष 1986-87 तथा बाद के वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में बताए गए थे। 14.38 लाख रु0 की वित्त प्रभावी महत्वपूर्ण टिप्पणियों को प्रकाश में लाने वाले कुछ दृष्टान्त निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए जाते हैं।

6.2 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण

जुलाई 1987 तथा जून 1988 में जारी अधिसूचना के द्वारा कृषकों द्वारा किसी विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी वाणिज्यिक बैंक तथा हिमाचल "ग्रामीण बैंक" के हक में विशिष्ट उद्देश्यों हेतु एक लाख रु0 तक के ऋण की प्राप्ति के लिए सरकार ने स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस को माफ किया। अन्य सूचनानुसार, हिमाचल प्रदेश को प्रयोज्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत सहकारिता समिति द्वारा या उसकी ओर से या उसके किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा निष्पादित विलेखों जो हिमाचल प्रदेश सहकारिता समिति अधिनियम 1968 के अन्तर्गत इस प्रकार की समिति के कार्य या ऐसे विलेखों की किसी श्रेणी या किसी एवार्ड या आदेश से सम्बन्धित है, के लिए स्टाम्प शुल्क को राज्य सरकार ने माफ कर दिया था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (अगस्त 1993) कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता कृषि व ग्रामीण विकास बैंक सहकारिता समिति अधिनियम, 1968 के अधिकार क्षेत्र में आता है।

हिमाचल प्रदेश सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 की धारा 3 में प्रावधान है कि बैंक राज्य के किसी भी भाग में विद्यमान किसी नियम के अन्तर्गत भूमि

सुधार तथा उत्पादक लक्ष्यों, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा कृषि उद्देश्य के लिए मकानों की मरम्मत, काश्तकारों द्वारा कृषि भूमि की खरीद अथवा अधिग्रहण हक तथा राज्य के किसी भी भाग में उस समय लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत ऋणों के परिसमापन हेतु ऋण स्वीकृत कर सकते थे। उक्त अधिनिगम की धारा-53 के अन्तर्गत उस समय विद्यमान किसी भी निगम के अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के पक्ष में उसके अधिकारियों या सदस्यों द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख के पंजीकरण के संबंध में फीस प्रभारित नहीं की जानी थी।

उप पंजीयक, औट, हमीरपुर, कण्डाघाट, केलांग, करसोग, कुमारसैन, मण्डी (सदर), नालागढ़, ननखड़ी तथा सुन्दरनगर के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अप्रैल 1997 तथा फरवरी 1998 के मध्य) कि वर्ष 1996 के दौरान "ग्रामीण बैंक" तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत बैंकों से ऋण प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत नामों के अठासी दस्तावेज निष्पादित किए गए जो उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आते थे। प्रतिभूत दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त ऋण ट्रकों/मिनी ट्रकों/बसों/जीपों/तिपाहिया वाहनों/होटल निर्माण/अतिथिगृहों, ढाबों को खोलने, आभूषण व्यवसाय, तैयार वस्त्र, टेलीविजन तथा तापशामक यन्त्र की मुरम्मत, संधान कार्य और फर्नीचर सेवा, केन्द्रों की स्थापना, बढ़ई तथा ऊन उद्योग तथा निस्यन्दकों की स्थापना के उद्देश्यों के लिए थे। यद्यपि इन दस्तावेजों के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु ऋणों को प्रत्याभूत किया गया था, लेकिन उप पंजीयक ने दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय उन पर कोई स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। परिणामतः 7.49 लाख रु0 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की वसूली नहीं हो सकी।

इसे लेखापरीक्षा में (अप्रैल 1997 तथा फरवरी 1998) विभाग को इंगित किया गया तथा सरकार की मई 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य सूचित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त (अगस्त 1998) तक प्राप्त नहीं हुआ था।

तथापि सरकार ने नवम्बर 1997 में स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उन सभी ऋणों में वसूली जानी थी जो कि कृषि उद्देश्यों के अतिरिक्त दिए गए थे। वसूली की आगाकी प्रगति एवं सूचना (अगस्त 1998) प्राप्त नहीं हुई थी।

6.3 स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प निर्धारण

हिमाचल प्रदेश में प्रयोज्य तथा 31 मार्च 1989 से यथासंशोधित (हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं0 7-1989) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत किसी शुल्क से सम्बन्धित विलेख की प्रभार्यता पर प्रभाव डालने वाले सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा सभी अन्य तथ्यों व परिस्थितियों का यदि कोई प्रतिफल हो तो उसे विलेख में पूर्णतः एवं सत्यतः प्रविष्ट किया जाएगा। सम्पत्ति का बाजार मूल्य वह कीमत परिभाषित की गई है जो विलेख के निष्पादन की तिथि को उस सम्पत्ति के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विलेख के निष्पादन की तिथि को होता है यदि उसे सार्वजनिक तौर से बेचा जाता है। यदि पंजीकरण अधिकारी को किसी विलेख का पंजीकरण करते हुए यह

विश्वास हो जाए कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा प्रतिफल, जैसी भी स्थिति हो, विलेख में सही नहीं किया गया है, वह ऐसे विलेख को पंजीकरण करने के पश्चात् बाजार मूल्य या प्रतिफल के निर्धारण तथा उस पर भुगतानयोग्य उचित शुल्क की वसूली हेतु समाहर्ता को भेज सकता है।

जून 1997 तथा फरवरी 1998 के मध्य दस* उप-पंजीकारों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 1996 में 95 मामले पंजीकृत किए गए। विलेखों में सम्पत्ति का प्रतिफल स्थानीय पटवारी द्वारा सत्यापित औसत मूल्य से काफी कम था। भूमि के मूल्य तथा इन विलेखों में लिए गए प्रतिफल में भारी अन्तर को देखते हुए पंजीकरण अधिकारियों को अधिनियम की धारा 47-क अन्तर्गत ऐसे मामलों को बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु समाहर्त्ता को भेजना अपेक्षित था जो नहीं किया गया। सम्बन्धित हल्के के पटवारी द्वारा उस क्षेत्र में 1995 के दौरान सन्निकर्ष भूमि की कीमतों के आधार पर संगणित 6.89 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस कम आंकी गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (जून 1997 तथा फरवरी 1998 के मध्य) उप-पंजीकार, धर्मशाला तथा कांगड़ा ने (जुलाई 1998) बताया कि 9200 रुपए (26840 रु० में से) तथा 14,060 रुपए (23030 रुपये में से) वसूल कर लिए थे तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयत्न जारी थे। बाकी मामलों के बारे में वसूली के प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 1998)।

मामले सरकार को (जुलाई 1997 तथा मार्च 1998 के मध्य) सूचित किए गए थे। उनके उत्तर (अगस्त 1998) प्राप्त नहीं हुए।

ख-गृह विभाग

6.4 पुलिस बल तैनाती के प्रभार की वसूली

हिमाचल प्रदेश में प्रयोज्य, पंजाब पुलिस नियम, 1935 के नियम 2.13(1) के अनुसार गैर-सरकारी जनसमूहों या मनोरंजन कार्यक्रमों के अभिप्रेरकों की ओर से व्यवस्था बनाए रखने तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस का प्रबन्ध अपेक्षित होता है। ऐसे अभिप्रेरकों को पुलिस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत फार्म 2.11(1)(क) व (ख) में अपने खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस बल के लिए आवेदन करना होता है। पंजाब पुलिस नियम 1935 के नियम 2.13 के उप-नियम (2) में दिए गए मापदण्ड के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, आवेदकों से प्रभारों की वसूली करेगा तथा तदनुसार पुलिस तैनात करेगा। फार्म 10.21 में बिल बनाया जाएगा तथा वसूल की गई सभी राशियां सरकार लेखे में जमा की जाएंगी।

विभिन्न मेलों/त्योहारों आदि के लिए पुलिस बल तैनाती के सम्बन्ध में पुलिस

---

* देहरा, धर्मशाला, घुमारवीं, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, पालमपुर तथा सैंज

*

विभाग के 12 में से सात यूनिटों के अभिलेखों की छानबीन के दौरान (जुलाई-सितम्बर 1997) पाया गया कि पुलिस बल को तैनात किया गया परन्तु कोई शुल्क नहीं लिया गया। नियम 2.13 (2) के संदर्भ में सरकार द्वारा शुल्क का पैमाना निर्धारित/अनुमोदित नहीं किया गया। 31 मार्च 1997 को समाप्त पिछले 3 सालों में पुलिस बल की तैनाती की लागत की वसूली न होने के कारण 142.96 लाख रु० की हानि हुई। हानि की संगणना सम्बन्धित पद के न्यूनतम वेतनमान के प्रभारों की प्रतिदिन की दर से की गई है क्योंकि तैनाती पूरे दिन के लिए थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों ने बताया कि सरकार ने प्रभारों की दरें निर्धारित नहीं की थी और इस विषय में प्रभारों की दरों को निर्धारित करने तथा उनकी वसूली के बारे में मामले को पुलिस महानिदेशक के साथ उठाया जाएगा तथा उत्तर दिया जाएगा (अगस्त 1998)।

सरकार को यह मामला अक्तूबर 1997 में सूचित किया गया। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 1998)।

ग-लोकनिर्माण विभाग

6.5 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान लोकनिर्माण विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 21 मामलों में 4.49 लाख रु० की राशि से अन्तः ग्रस्त राजस्व की अनियमितताएं हुईं जो कि मोटे तौर पर निम्नांकित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं:-

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपए)
1.	किराये की कम वसूली	7	2.77
2.	अन्य अनियमितताएं	14	1.72
	जोड़	21	4.49

वर्ष 1997-98 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 12 मामलों में 8.21 लाख रु० के अल्पोद्ग्रहण को स्वीकार किया जिन्हें लेखापरीक्षा में पूर्व वर्षों में इंगित किया था। उनका पूर्वतम वर्ष 1981-82 था। 1.04 लाख रु० के वित्तीय प्रभाव से ग्रस्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों को दशनि वाला एक मामला निम्नांकित परिच्छेद में उद्धृत है।

6.6 क्षतियों की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आवण्टन (सामान्य पूल) नियम, 1994 के अन्तर्गत वे अधिकारी जिनके पास चिंहित आवास है, कार्यमुक्त हो जाने पर स्थानान्तरण के एक माह तक आवास रख सकते हैं। आवास आवण्टन अनुमत समय सीमा समाप्त होने पर स्वतः ही रद्द

---

* बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा ऊना

समझा जाएगा तथा तत्पश्चात् आवास खाली न करने की अवस्था में आवास रखने एवं प्रयोग करने के लिए क्षतिपूर्ति की दर 4 रु० प्रति वर्ग फुट होगी।

अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण मण्डल, सोलन की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1997) कि चिन्हित आवास (काबिज क्षेत्रफल: 4,570.09 वर्गफुट) वाला एक अधिकारी स्थानान्तरित हो गया था और वह 11 जून 1996 को भारमुक्त हुआ। नियमों के अन्तर्गत, अधिकारी आवास 10 जुलाई 1996 तक रख सकता था। अभिलेखों की छानबीन के पश्चात् यह पाया गया कि उसने आवास दिसम्बर 1996 तक खाली नहीं किया। नियमों की अवहेलना के लिए विभाग ने 11 जुलाई 1996 से दिसम्बर 1996 तक 1.04 लाख रु० क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (जनवरी 1997) पर विभाग ने बताया (जनवरी 1998) कि अधिकारी से राशि वसूल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

सरकार को मामला फरवरी 1997 में सूचित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 1998)।

रेवती बेदी

(रेवती बेदी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला:
दिनांक: 27 NOV 1998

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली:
दिनांक: 2 - DEC 1998